Ok"ki % 41(vad % 9 (flrEcj % 2019(eY; % nl #lk,

सीटू मजदूर

सीटू जनरल काउंसिल मीटिंग

7–10 अगस्त, 2019; हासन (कर्नाटक)

ए.आइ.के.एस. महासचिव हन्नान मोल्लाह सम्बोधित करते हुए *(उपर)*
सीटू अध्यक्ष हेमलता मीटिंग को सम्बोधित करते हुए *(नीचे)* *(रिपोर्ट पृष्ठ 5)*

देशव्यापी विरोध

श्रम अधिकारों पर हमलों के खिलाफ

तपन सेन दुर्गापुर में कन्वेंशन को सम्बोधित करते हुए (पश्चिम बंगाल)

त्रिशूर (केरल)

आरसोन (पंजाब)

सम्पादकीय

सीटू मजदूर

lhvkbVh;l dk e[ki=

सितम्बर 2019

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

~~के हेमलता~~

कार्यकारी सम्पादक

~~जे एस मजुमदार~~

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

lhVw tujy dkmfly ehfVx 5

tEe vkj d'ehj e ljdkjh dkjZokbZ Hkkjrh; x.kjkT; dh turk d fy, vfu"Vdkjh &t-,l- etenkj 16

m|kx ,o {k= 18

dk;yk m|kx e etnj vknkyu

& th-d- JhokLro 20

fuek.k etnjk dk VsM ;fu;u vknkyu

&ncktu pØorh 23

miHkkDrk eY; lpdkd 26

ट्रेड यूनियन जनवाद

gklu e g;h lhVw dh tujy dkfly dh cBd u viuh fjikVZ vkj ppkZvk e ,d egÙoi.k igy ij /;ku fn;k gA mlu ;g rF; nt fd;k g fd lhVw d lxBu dh vlyh cfu;kn] gtkjk ;fu;uk dh defV;k e dke dju okyl enkuh dk;drkvk] fofHkUu Lrj d VsM ;fu;u urRo d chp vkj [kn mud Hkhrj opkfjd] lkekftd&vkfFkd rFkk lkxBfud le>nkjh d ekey e ,d xgjh [kkbZ g A bld pyr vknkyu d jktuhfrd lUn'k dk etnjk vkj 'kkf"kr turk d vU; fgLlk rd igpku e lQyrk ugh fey ikrh gA

;g foQyrk] r= d u gku ;k çlkj vkj Qyko d r= dh foQyrk Hkj ugh gA gkykfd mle xHkhj detkfj;k g ftu ij rRdky /;ku nu vkj mUg l/kkju dh vko';drk gA fdUr bldh tM T;knk xgjh gA ;g VsM ;fu;u tuokn dh oxh; le>nkjh l tMk ekeyk gA VsM ;fu;u tuokn dk eryc flQ lkxBfud ekeyk e tuokn ugh g] gkykfd ;g Hkh egRoi.k g D;kfd ;gh vkx c<u dk tfj;k gA

VsM ;fu;u tuokn dh cfu;kn g] fu.k; yu dh çfØ;k] urRo d l>kok d lkefgd vuekn vkj mu ij lpr vey dh gj çfØ;k e etnjk dk 'kkfey gkukA

flQ blh çfØ;k d tfj; etnj ox ;g vglkl djrk g fd Qly yu] mu ij vey dju vkj lQyrk,¡ gkfly dju gj ekey e lkefgd :i l o gh vlyh rkdr gA ,lk djr g, mudh ox&pruk fodflr gkrh g vkj mUg vglkl gk tkrk g fd ekuo bfrgkl vkj mldh fu;fr jpu okyl o gh gA

oxh; ,drk] tul?k"k] jktuhfrd vfHk;ku VsM ;fu;u tuokn d gj 0;ogkj d lkFk tMs g, gA etnj ox dh vxxfr dk vfoHkkT; vx g] mld fodkl dh io'kr gA

शोक संदेश

कॉमरेड अजय मुखर्जी

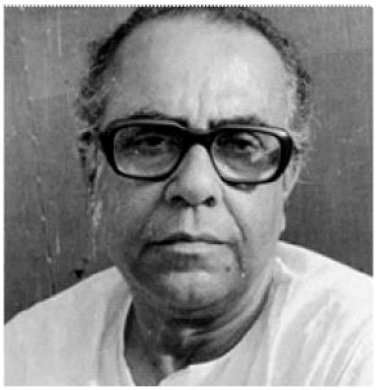

सीटू ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के सबसे बड़े नेताओं में एक, कॉमरेड अजय मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है; जिनका निधन 24 जुलाई 2019 को कोलकाता में 92 साल की उम्र में हो गया।

कॉमरेड अजय मुखर्जी के नेतृत्व में, अत्याचार और उत्पीड़न, जिसमें बर्खास्तगी, सेवा में विराम और शारीरिक हमले शामिल हैं के खिलाफ; राज्य सरकार के कर्मचारियों ने साठ के दशक के बाद से पश्चिम बंगाल में कई जुझारु संघर्ष किए थे; और राज्य सरकार के कर्मचारियों का संघर्ष न केवल कर्मचारियों की अपनी मांगों पर, बल्कि पूरे मजदूर वर्ग और जनता की लोकतांत्रिक मांगों पर भी हड़तालों, संघर्षों और बंद आदि में सबसे आगे रहा; और यह सत्तर के दशक में पश्चिम बंगाल में अर्द्ध–फासीवादी आतंक के खिलाफ संघर्ष और उसके बाद 'आंतरिक आपातकाल' का प्रमुख घटक बना।

उन्होंने अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी फेडरेशन के गठन और उसके विस्तार में भी भूमिका निभाई और इसे राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारियों का अकेला सबसे बड़ा फेडरेशन बनाया और साथ ही साथ देशव्यापी कार्रवाई में फेडरेशन की ताकत को भी दिखाया, जिसमें आम मुद्दों पर मजदूर वर्ग द्वारा की गयी हड़तालें भी शामिल हैं।

कॉमरेड अजय मुखर्जी नब्बे के दशक के दौरान लोकसभा में कामकाजी जनता के हितों के लिए उत्तम दर्जे के सक्षम सांसद रहे।

कामरेड अजय मुखर्जी के निधन से मजदूर वर्ग और कर्मचारियों के आंदोलन को बहुत नुकसान हुआ है। सीटू ने उनके साथियों और परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी।

गुजरात

बैंक मित्र यूनियन का गठन

सीटू गुजरात राज्य कमेटी द्वारा आयोजित, 24 जिलों से आने वाले 400 बैंक मित्र (बैंक अभिकर्ताओं) का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ और एक यूनियन गठित करने का फैसला किया। सीटू राज्य महासचिव, और इसकी राज्य समिति के सदस्य और आंगनवाड़ी यूनियन के महासचिव ने सम्मेलन को संबोधित किया।

सीटू जनरल काउंसिल मीटिंग

7–10 अगस्त, 2019; हासन (कर्नाटक)

ijs n'k ls vk, lhVw tujy dkmfly ds lnL;] 7&10 vxLr dks gqbZ tujy dkmfly ¼thlh½ dh cSBd esa Hkkx yus ds fy, dukVd ds gklu igqp(n'k esa xHkhj fLFkfr dk tk;tk fy;k(egurd'k turk ds vf/kdkjksa o vkthfodk dh j{kk vkSj dkjikjksa&lkEÁnkf;d&Qklhoknh xBtksM+ }kjk jk"Vªh; vFkZ;oLFkk] Je vf/kdkjksa] lkoZtfud miØeksa] vkSj n'k ds lfo/kku ,oa ykdrU= ij c<+rs geyksa ls fuiVus ds fy, Hkkoh Lora= ,oa lq;ä dkjZokfg;ksa ds ckjs esa vkSj bu pqukSfr;ksa dk çHkkoh <x ls lkeuk djus ds fy, lhVw dh lxBukRed rkdr dks etcwr vkSj foLrkfjr djus ds ckjs esa Qlyk fy;kA & ,d lf{kIr fjikVZA

सीटू जनरल काउंसिल के 425 सदस्यों में से 355 सदस्य (36 महिलाओं 31 पदाधिकारियों सहित) इस मीटिंग में शामिल हुए। बिरादराना ट्रेड यूनियनों के 4 आमंत्रित सदस्यों ने भी मीटिंग में भाग लिया। हेमलता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए उद्घाटन सत्र में स्वागत समिति के अध्यक्ष विजय कुमार ने मौजूद लोगों का स्वागत किया। सीटू के कोषाध्यक्ष, एम.एल. मलकोटिया ने दिवंगत नेताओं और शहीदों पर शोक प्रस्ताव रखा। विशिष्ट अतिथि और अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला (पूर्व सांसद) ने जनरल काउंसिल सदस्यों को संबोधित और बधाई देते हुए मजदूरों–किसानों की बढ़ती एकता और शासक वर्गों से आ रही बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट कार्रवाहियों एवं उनके विस्तारित करते हुए तेज करते रहने की आवश्यकता को इंगित किया।

महासचिव तपन सेन ने 'जम्मू–कश्मीर में संवैधानिक आदेश, संघीय व्यवस्था और लोकतंत्र पर सरकार के हमले के खिलाफ' एक प्रस्ताव रखा। जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

सड़क पर विरोध

सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई के महासचिव डी राजा को 9 अगस्त को श्रीनगर हवाई अड्डे पर नजरबन्द करने का समाचार मिलने पर; सीटू जनरल काउंसिल की मीटिंग के चलते सत्र को निलंबित कर दिया गया और अध्यक्ष और महासचिव के नेतृत्व में, सीटू के जनरल काउंसिल के सदस्य मूसलाधार बारिश में मीटिंग हॉल से बाहर निकलकर सड़क पर आ गये और सीटू के स्थानीय कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए, और विरोध मार्च निकालते हुए नारे लगाए। जम्मू–कश्मीर में लोकतंत्र और जनता की आवाज पर मोदी सरकार के हमले की निंदा की और जम्मू–कश्मीर और भारत की जनता की नागरिक स्वतंत्रता की बहाली के लिए आवाज बुलंद की।

अन्य प्रस्तावों में 'महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा' और 'दलितों, जिसे सीटू उपाध्यक्ष एके पद्मनाभन ने प्रस्तावित किया; 'आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ' जिसे सचिव एआर सिंधु ने पेश किया। 'बाढ़ की स्थिति पर', जी सुकुमारन द्वारा प्रस्तावित और उपाध्यक्ष एस वरलक्ष्मी द्वारा समर्थित को सर्वसम्मति से पारित किया गया। जनरल काउंसिल ने सीटू के उपाध्यक्षों बासुदेव आचार्य और एस वरलक्ष्मी द्वारा प्रस्तावित एवं समर्थित, प्रतिरक्षा उत्पादन इकाइयों के निजीकरण के लिए निगमीकरण के कदम के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पादन कर्मचारियों के सभी संगठनों के महासंघ के आह्वान पर, ऑर्डीनेन्स फैक्ट्रियों में 20 अगस्त 2019 से होने वाली महीने भर की हड़ताल के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया।

अध्यक्षीय भाषण के बाद महासचिव तपन सेन ने रिपोर्ट पेश की और कोषाध्यक्ष मलकोटिया ने लेखा–जोखा का विवरण पेश किया। महासचिव ने रिपोर्ट के अनुलग्नक के तौर पर कार्यों के तीन दस्तावेज –एक, सीटू के 16वें सम्मेलन के बारे में; दूसरा, तात्कालिक कार्य के बारे में; और तीसरा, कामकाजी महिलाओं पर, पेश किये।

सभी राज्यों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 75 जीसी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और अपनी समझ और संघर्ष के अनुभव को उजागर करते हुए रिपोर्टों को समृद्ध किया। महासचिव द्वारा जवाब और समापन के बाद रिपोर्ट को कार्य दस्तावेजों सहित सर्वसम्मति से पारित किया गया।

- जनरल काउसिंल ने सभी सीटू, कमेटियों, फेडरेशनों और संबद्ध इकाइयों का आह्वान किया कि वे अपने सभी संगठनात्मक, आंदोलन और संघर्ष की गतिविधियों के माध्यम से, मजदूरों के व्यापक तबकों के बीच उचित समय पर कई दिनों की हड़ताल के विचार जिसे केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से तय किया जाना है, को लोकप्रिय बनाने की शुरूआत करें।
- अखिल भारतीय किसान सभा ने 5 सितंबर 2018 की ऐतिहासिक 'मजदूर किसान संघर्ष रैली' में उठाये गये मुद्दों को दोहराने के लिए प्रदर्शन करने का फैसला किया। सीटू जनरल काउसिंल ने इस साल 5 सितंबर 2019 को इस दिन की याद में किसानों के साथ संयुक्त प्रदर्शन करने का फैसला किया।

बैठक सीटू कर्नाटक राज्य समिति और इसकी हासन जिला समिति और वालंटियरों को मीटिंग की मेजबानी करने, समय पर समापन और तूफानी मौसम तथा राज्य में गंभीर बाढ़ की स्थिति के बावजूद बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए बधाई देने के साथ संपन्न हुई।

अध्यक्षीय भाषण

अपने अध्यक्षीय भाषण में हेमलता ने गंभीर और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में, गंभीर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता के मद्देनजर; देश की निरंतर जनविरोधी आर्थिक दिशा और राजनीतिक विकास; मजदूरों और अन्य मेहनतकश तबकों के काम और रहन–सहन की बिगड़ती स्थितियों पर बड़े कारपोरेटों और उनके लिए काम करने वाली सरकारों के हमलों के तहत केवल रस्म अदायगी को दरकिनार करते हुए, अपने भावी कार्यों के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने को रेखांकित किया।

अंतर्राष्ट्रीय विकास की व्याख्या करते हुए, उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था के बिगड़ने के बारे में इंगित किया जिसकी पुष्टि आईएमएफ सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सर्वेक्षण द्वारा की गई है; वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसके और खराब होने; असमानताओं के बढ़ने, धन के कुछ ही हाथों में संचयन के बढ़ते जाने की भविष्यवाणी की है। भारत में ही, 9 व्यक्तियों के पास देश की आधी आबादी के बराबर का धन है; नीचे की 60% जनसंख्या केवल 1% की मालिक है।

उन्होने इंगित किया कि अमेरिकी साम्राज्यवाद अपने वैश्विक आधिपत्य को मजबूत करने और दुनिया में महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों और सामरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए अपने राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य हस्तक्षेप को जारी रखे हुए; आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों के उपयोग को जारी रखे हुए; गड़बड़ी पैदा करने के लिए दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी और विभाजनकारी शक्तियों को उकसावा/बढ़ावा दे रहा है और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को पलटता है और इसके बाजू मरोड़ने का विरोध करने वाले देशों को सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर करता है; जनता का क्रूरता से दमन करने वाले सत्तावादी शासन का समर्थन करता है।

चीन, क्यूबा, वेनेजुएला और ईरान आदि इस तरह के साम्राज्यवादी हस्तक्षेपों को चुनौती दे रहे हैं और उसके आदेशों के समक्ष आत्मसमर्पण करने से इंकार कर रहे हैं, 'राष्ट्रवाद' और 'देशभक्ति' की बात करने वाली मोदीनीत भाजपा सरकार अमेरिका के साम्राज्यवादी आदेशों के आगे झुकते हुए ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, अमेरिकी साम्राज्यवाद के हस्तक्षेप के कारण ही तालिबान, आईएस आदि आतंकवादी संगठनों को विस्तार और मजबूती मिली है।

उन्होने बताया कि दुनिया भर में मजदूर अपने अधिकारों और लाभों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं; बढ़ते संघर्षों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूँजी निर्देशित नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ उनका और जनता का गुस्सा जाहिर होता है; नवउदारवादी नीतियाँ शंकाग्रस्त, विफल और अस्थिर साबित हुई है; पूँजीवाद खुद अपनी विश्वसनीयता खो रहा है।

राष्ट्रीय हालात की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होने बताया कि भारत का मजदूर वर्ग मोदीनीत कॉरपोरेट–सांप्रदायिक सत्ता के बहुमुखी हमलों की चुनौती का सामना कर रहा है। मजदूर वर्ग की एकता, जो कि नवउदारवादी शासन के खिलाफ उनकी लड़ाई का एकमात्र हथियार है, सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों के कारण गंभीर खतरे में है।

वही मजदूर वर्ग, जिसने नवउदारवादी हमलों के खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन के सभी आह्वानों का बहुत ही शानदार ढंग से पालन किया है, ने 'मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी' भाजपा को हराने के आह्वान को नजरअंदाज कर दिया। आजादी के बाद यह पहला मौका था जब संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन ने इस तरह का राजनीतिक आह्वान किया था।

नवउदारवादी एजेंडे के विकल्प के तौर पर सीटू ने 'वर्कर्स चार्टर' तैयार करने में एक प्रमुख भूमिका निभायी; हालांकि, हम इसे जमीनी स्तर पर मजदूरों तक नहीं ले जा सके और उन्हें भाजपा सरकार को हराने की जरुरत के बारे में नही बता सके, जिसकी नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार का नुकसान हुआ है, मजदूरों के मूल अधिकारों पर हमले हुए हैं और कृषि संकट और अधिक गहराया है।

उन्होने कहा कि भाजपा ने पुलवामा हमले का इस्तेमाल, मजदूरों सहित जनता का ध्यान हटाने के लिए किया, वह अंधराष्ट्रवाद से बरगलाने में और जनता की वास्तविक देशभक्ति की भावनाओं का इस्तेमाल करके यह भ्रम पैदा करने में सफल रही कि केवल मोदी ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं; सीटू की वर्किंग कमेटी की विशाखापत्तनम बैठक में भाजपा की इस तरह की कार्रवाई की चेतावनी दी थी; फिर भी कई राज्यों की कमेटियों ने सीटू के राजनीतिक कार्य के तौर पर मजदूर वर्ग के बीच अभियान नहीं चलाया।

उन्होंने आरएसएस–भाजपा के साम्प्रदायिक और विभाजनकारी प्रयासों और नवउदारवादी हमले का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में कमजोरियों को दुरुस्त करने के लिए आत्मनिरीक्षण के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला; जैसे कि हम इस राजनीतिक कार्य को उचित गंभीरता से लेने में असफल क्यों रहे; क्या हमने कोझीकोड दस्तावेज की दिशा को आत्मसात किया है; क्या हम सभी गतिविधियों में निम्नतम स्तर की कमेटी के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और उनकी राजनीतिक और वैचारिक चेतना और संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गंभीरता से काम करने की कोशिश कर रहे हैं?

उन्होने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि इनका उत्तर देने से ही संगठन को मजबूती मिलेगी और शोषण को समाप्त करने और शोषण मुक्त समाज की स्थापना के सीटू के संवैधानिक उद्देश्य हासिल किया जा सकेगा; आज यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए जब हम सीटू के गठन की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं और इसके 16वें सम्मेलन की तैयारी कर रहे है।

महासचिव की रिपोर्ट

महासचिव की रिपार्ट रेखाकिंत करती है;

- मजदूर वर्ग, किसान और मेहनतकश अनता के अन्य तबके पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार संघर्षों में रहे जिनकी परिणति 8–9 जनवरी 2019 को दो दिनों की आम हड़ताल में हुई। पहली बार, संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन ने एक 'वर्कर्स चार्टर' पारित किया और 17वीं लोकसभा के चुनावों में 'मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी' भाजपा को हराने के आह्वान किया। सीटू ने इस आह्वान को बहुत गंभीरता से लेते हुए, जिन तक न पहुंचे उन तक पहुंचने', 'मुद्दों को नीतियों के साथ जोड़ने' और 'नीतियों को निर्धारित करने वाली राजनीति को उजागर करने' के नारे को जमीनी स्तर पर व्यवहार में लाने का फैसला लिया।
- हालांकि, चुनाव परिणाम बताते हैं कि मजदूर वर्ग ने इस आह्वान को नजरअंदाज कर दिया। जिन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लिया, उनमें से अधिकांश ने भाजपा को वोट दिया। हम आम मजदूरों और जनता को संदेश देने में; और चुनावों के दौरान उनकी आजीविका से जुड़े मुद्दों को आम चर्चा में रखने में असफल रहे हैं। आरएसएस–भाजपा जनता के मुद्दों को पुलवामा, बालाकोट की ओर हटाने में सफल रहे और जनता क्र असल देशभक्ति की भावनाओं का उपयोग करते हुए राष्ट्रवाद को भड़काया। ऐसी संभावना के बारे में विशाखापत्तनम वर्किंग कमेटी मीटिंग की चेतावनी के बावजूद, ज्यादातर सीटू कमेटियों ने चुनाव के दौरान इसे राजनीतिक कार्य के रूप में नहीं लिया।
- प्रमुख बुर्जुआ विरोधी दल, अपने वर्ग चरित्र के अनुसार, जनता के मुद्दों को नहीं उठाते, और उन्हें नीतियों से नहीं जोड़ते, क्योंकि वे जब भी और जहाँ भी सत्ता में होते हैं, उन्हीं नीतियों का पालन करते हैं। हालाँकि हम अपने स्वयं के सदस्यों को यह समझाने में भी सक्षम नहीं रहे कि वामपंथी ही हैं, जो अपनी सीमित ताकत के बावजूद मजदूर विरोधी नीतियों का दृढ़ता से और लगातार विरोध करते रहे हैं, और यही एकमात्र विकल्प है।
- पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में उनके मजबूत गढ़ों में, वामपंथी दलों को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया क्योंकि उन्हें नवउदारवादी शासन के असली विरोधी के रूप में देखा जाता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और त्रिपुरा में भाजपा द्वारा वामपंथियों पर हमले किये जा रहे हैं। आरएसएस और भाजपा अब केरल को निशाना बना रहे हैं।

- दूसरी बार सत्ता में आने के तुरंत बाद, भाजपा सरकार ने नवउदारवादी 'सुधारों' को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता घोषित की है। और घोषणा की है कि 'श्रम कानून में सुधार', 'निजीकरण' और 'भूमि बैंकों' का गठन 'व्यापार में आसानी' के लिए प्राथमिकताओं में होगें; इस एजेंडे को आक्रामक ढ़ंग से लागू करना शुरू कर दिया है; और एशियाई क्षेत्र से आयात को और उदार बनाने के लिए रीजनल कॉम्प्रीहेन्सिव इकोनोमिक पार्टनरशिप (आरसीइपी) का विस्तार करने के लिए आगे बढ़ रहा है।
- केंद्रीय बजट उनके देशी–विदेशी कॉरपोरेट आकाओं के लिए 'वापसी भुगतान' था। देश की ज्वलंत समस्या बेरोजगारी की स्थिति को दूर करने के लिए गंभीर उपायों के बजाय, बजट में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 'लिवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर्स' और 'टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स' जैसे मजाकिया कदमों की घोषणा की है। अमीर लोगों पर अधिक कर लगाने और आम जनता को रियायतें प्रदान करने की अपनी तमाम बातों के बावजूद, बजट बड़े कॉरपोरेट्स और सट्टा बाजार में लगी वित्त पूंजी के पक्ष का पूर्वाग्रह साफतौर पर दिखा है। मनरेगा सहित अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं के आवंटन में कटौती की गई है।
- भाजपा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय करने के फार्मूले पर 1992 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सर्वसम्मत सिफारिशों की पूरी तरह से अनदेखी की है। यहाँ तक कि सरकार द्वारा गठित एक 'विशेषज्ञ समिति' ने क्षेत्रीय उतार–चढ़ाव के साथ रु० 375 से लेकर रु० 447 प्रति दिन (रु० 9,750 से रु० 11,662 प्रति माह) तक की न्यूनतम मजदूरी की सिफारिश की है। लेकिन सरकार ने केवल रु० 178 प्रति दिन (रु० 4,628 प्रति माह) के स्तर का न्यूनतम वेतन तय किया, जो देश में 31 स्थानों पर पहले से लागू न्यूनतम मजदूरी से कम है।
- भाजपा के शासन में औद्योगिकीकरण के विखंडन की घोषणा अधिक स्पष्ट हो गई है। नवउदारवादी पूँजीवाद और वैश्विक मंदी की प्रवृत्ति का व्यवस्थागत संकट हमारे देश में भी परिलक्षित हो रहा है। क्षमता के कम उपयोग और बाजार में संकुचन के कारण लाभ का स्तर दबाव में है। पूँजीपति इस स्थिति का सामना करने के लिए श्रम लागत में कटौती और तथाकथित 'श्रम कानून सुधारों' और भाजपा सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से मजदूरों पर गुलामी थोपना चाहते हैं। 'कोड ऑफ वेजेस बिल' के पारित होने के बाद औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा और कामकाजी स्थितियों पर अन्य तीन बिलों का पारित किया जाएगा। आखिरी वाला पहले से ही पेश कर दिया गया है।
- सरकार संसाधन और संपत्ति के लिहाज से समृद्ध सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर तुली हुई है, जिन्हे विनिवेश के लिए 'कन्वेयर बेल्ट' पर रखा जा रहा है। प्रतिरक्षा और रेलवे उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय संसाधनों और परिसंपत्तियों का स्वामित्वहरण और मजदूरों एवं जनता का क्रूर शोषण ही सांठ–गांठ वाले पूँजीवाद का असली चेहरा है। यह सब 'राष्ट्रवाद' के नाम पर किया जा रहा है।
- भाजपा सरकार पूरी तरह से साम्राज्यवादी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के कब्जे में है, और नवउदारवाद को पलटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जो कि देश को वर्तमान संकट से उबारने का एकमात्र तरीका है। इसके बजाय, वह जनता पर अधिक बोझ डालकर और कॉरपोरेटस् के लिए मजदूरों के अधिक अमानवीय शोषण को सुविधाजनक बनाने के माध्यम से संकट से उबरने की उम्मीद करती है।
- मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर बाँटकर हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जिससे उनका ध्यान रोजमर्रा की समस्याओं से हटता है, उनकी एकता और एकजुट संघर्षों में खलल पड़ता है। बढ़े हुए जनादेश के साथ सत्ता में लौटने वाली भाजपा सरकार के कुछ ही महीनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भीड़ हिंसा और अल्पसंख्यकों की हत्या में वृद्धि हुई है। 'जय श्रीराम' 'जय हनुमान' का उपयोग अल्पसंख्यकों को डराने, आतंकित करने और उन पर हमला करने के लिए किया जा रहा है।
- भाजपा सरकार संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थानों पर भी हमला कर रही है और सत्तावादी कदम उठा रही है। अनुच्छेद 370 को रद्द करना, 'गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम' और 'सूचना का अधिकार कानून' में संशोधन, कुछ इसी तरह के कदम हैं।

- ये मजदूर वर्ग और जनता के समक्ष कहीं ज्यादा बड़ी और गंभीर चुनौतियों का संकेत दे रहे हैं। मजदूर वर्ग की एकता को व्यापक बनाकर, आर्थिक माँगों के साथ–साथ सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ बढ़े हुए संघर्षों के द्वारा ही इन्हें चुनौती दी जा सकती है। संसदीय चुनावों में भाजपा को वोट देने वाले मजदूर बड़ी संख्या में इसकी मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष के रास्ते पर हैं – रेलवे उत्पादन इकाइयों के कर्मचारी इन इकाइयों के निगमीकरण के फैसले के खिलाफ लड़ रहे हैं; प्रतिरक्षा ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से आयुध कारखानों के निगमीकरण के खिलाफ 20 अगस्त से एक महीने की लंबी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है; इस्पात मजदूर, बीएसएनएल कर्मचारी, बैंक के ठेका कर्मचारी, विभिन्न राज्यों में योजना मजदूर, निजीकरण के विरोध में और अपनी अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र फेडरेशनों ने श्रम कानून सुधारों के विरोध में 2 अगस्त को देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। इन्हें और आगे ले जाने और मजबूत बनाने की जरूरत है।
- बीएमएस को छोड़कर सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने कई दिनों की देशव्यापी हड़ताल सहित प्रभावी कार्रवाई की योजना बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। संघर्ष के कार्यक्रम को एक बार अंतिम रूप दिये जाने के बाद, सीटू द्वारा 'जिन तक नहीं पहुँचे उन तक पहुँचना' और 'नीतियों के साथ मुद्दों को जोडना, नीतियों को निर्धारित करने वाली राजनीति को बेनकाब करना' के नारे को व्यवहार में लाकर, बड़े पैमाने पर अभियान के माध्यम से समूचे मजदूर वर्ग तक ले जाया जाना चाहिए।
- हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य, न केवल मजदूरों की मांगों के साथ ही साथ संपूर्ण मेहनतकश जनता को सामाजिक उत्पीड़न के मुद्दों, जिससे मेहनतकश जनता सर्वाधिक प्रताड़ित है, को लेकर मजदूर वर्ग की एकता को व्यापक करना और संघर्षों को ऊँचाईयों पर लेकर जाना है। संघर्ष के लिए सामाजिक–राजनीतिक दोनों ही तरह से शिकार जनता को साथ लेकर गठबंधन व्यापकतम् बनाना है। नवउदारवाद और संकट से उबरने के लिए इसके तमाम सामाजिक–राजनैतिक हथकण्डों के खिलाफ समझौताविहीन लड़ाई के आधार पर संघर्ष के इस व्यापक गठबंधन को खड़ा करना है।
- सीटू की स्थापना के स्वर्ण जयंती और पहले राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केंद्र की शताब्दी वर्ष, जिसके शुरुआती संघर्ष में सीटू के संस्थापक नेताओं ने योगदान और अपार बलिदान दिया को, इस वर्ष मनाया जा रहा है। इसे आमतौर पर मजदूर वर्ग और विशेष रूप से सीटू के कैडरों और कार्यकर्ताओं में राजनीतिक व वैचारिक चेतना विकसित करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। यह हमारे देश के मजदूर वर्ग के देशव्यापी जुझारु संगठन के तौर पर संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमारी सभी जमीनी स्तर की कमेटियों के सदस्यों को संगठनात्मक और नेतृत्वकारी क्षमताओं से लैस किया जाना चाहिए।

जनरल काउसिंल मीटिंग द्वारा तय किये गये कार्य

सीटू के 16वें सम्मेलन से जुडे कार्य

1. सीटू का 16वाँ सम्मेलन 2018 की सदस्यता के आधार पर 23–27 जनवरी 2020 को चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा।
2. सभी बकाया राशि सहित संबद्धता शुल्क को 30 सितंबर 2019 से पहले सीटू केंद्र में जमा किया जाना चाहिए।
3. सम्मेलन के समय तक संबद्धता शुल्क जमा नहीं वाली यूनियनों को फिर से संबद्धता के लिए आवेदन करना होगा।
4. जनरल काउसिंल ने 30 सितंबर 2019 तक जमा की गयी सदस्यता के आधार पर प्रतिनिधियों की राज्यवार संख्या को अंतिम रूप देने के लिए सीटू केंद्र को अधिकृत किया।
5. महिला प्रतिनिधियों को 25% से कम नहीं होना चाहिए। राज्य कमेटियों को केवल योजना श्रमिकों तक ही सीमित न रहकर, अलग–अलग क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ वे काम करती हैं।
6. प्रतिनिधिमंडल में अधिक से अधिक सेवारत मजदूरों को शामिल करने के लिए सचेत प्रयास किए जाने चाहिए।
7. प्रतिनिधि शुल्क रु० 1600/– प्रति प्रतिनिधि होगा।

8. सम्मेलन स्थल का नाम सीटू के पूर्व महासचिव के नाम पर 'मोहम्मद अमीन नगर' रखा जाएगा; सीटू के पूर्व उपाध्यक्ष के नाम पर मंच का नाम 'सुकोमल सेन मंच' होगा। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संस्थापकों में से एक के नाम पर जनसभा स्थल का नाम 'सिंगारवेलु नगर' रखा जाएगा, जिन्होने देश में मई दिवस का पहला आयोजन किया था।

फौरी कार्य

हमारे लक्षित फौरी कार्यः

(1) बड़े जुझारु संघर्ष की तैयारी करना (2) संगठन को राजनीतिक, वैचारिक और संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाना (3) कैडर विकसित करना

फौरी कार्य

1. 14 अगस्त की रात्रि भर लम्बा सामूहिक जागरण

देश की आत्मनिर्भरता और जनता की एकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व रात्रि को कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए

● संभवतः अधिक से अधिक स्थानों पर; संभवतः अधिक से अधिक मजदूरों को शामिल करके ● प्रत्येक जनरल काउसिंल सदस्य जिम्मेदारी लें ● राज्य पदाधिकारियों/केंद्र द्वारा तय की गई जिम्मेदारी के अनुसार राज्य के प्रत्येक पदाधिकारी को एक जिले में 'जागरण' में भाग लेना है ● अखिल भारतीय पदाधिकारियों को भाग लेना है ● 'हम मजदूर हैं। हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हम राष्ट्र की रक्षा करते हैं। हम करते थे। हम हमेशा करेंगे' लिखा हुआ बैनर 'जागरण' के आयोजन और इसकी तैयारी के दौरान प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए ● जागरण में 'भारत मेरा स्वप्न है' की प्रतिज्ञा ली जाए ● आयोजन और तैयारियों के बारे में भी मात्रात्मक विस्तृत रिपोर्ट सीटू केंद्र को भेजें

2. मजदूरों की माँगों की एकजुटता में अखिल भारतीय किसान सभा के 5 सितम्बर के कार्यक्रम में

● संयुक्त मजदूर किसान प्रदर्शनों के लिए किसान सभा की राज्य कमेटियों के साथ तालमेल करने की गंभीर पहल राज्य सीटू नेतृत्व को करनी है ● उसके बाद स्थानों की संख्या, मजदूरों, किसानों की भागीदारी और आयोजित करने के तरीके इत्यादि के बारे में मात्रात्मक रिपोर्ट उसके तुरंत बाद सीटू केंद्र को भेजें।

3. अगली कार्रवाही का कार्यक्रम

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मजदूर वर्ग पर भाजपा सरकार के हमलों के खिलाफ कई दिनों की हड़ताल का आह्वान करने के बारे में चर्चा चल रही है। विवरण को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। जबकि चौतरफा चुनौतियों का सामना करने और नीतियों को परास्त करने के लिए कई दिनों की हड़ताल की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करके मजदूर वर्ग को तैयार किया जाना चाहिए। हमारी प्राथमिक स्तर की इकाइयों को सक्रिय करने के उद्देश्य से तैयारी एकदम से शुरू करनी चाहिए।

पूरे अभियान का प्रमुख केन्द्र होना चाहिए –

1) देश की आत्मनिर्भरता और संप्रभुता पर 2) श्रम कानूनों में 'सुधार' जो कि मजदूर वर्ग पर गुलामों जैसी स्थितियों थोपते हैं, के खिलाफ और 3) बड़े पैमाने पर नौकरियों के नुकसान और बेरोजगारी के खिलाफ;

- संयुक्त क्षेत्रीय संघर्षों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में विकसित किया जाना चाहिए।
- इसके साथ ही आरएसएस और भाजपा के सांप्रदायिक विभाजनकारी षड़यंत्रों को उजागर किया जाना चाहिए।

हड़ताल की तैयारी के अभियान के वास्तेः

● सभी सदस्यों के साथ सम्पर्क करना ● सभी जमीनी स्तर की कमेटियों के सदस्यों को शामिल करें; ● स्थानीय मुद्दों/मांगों के साथ आम मुद्दों को मिलाऐं ● संयुक्त अभियान की योजना निचले स्तर तक संभव बनाऐं ● साथ ही स्वतंत्र और प्रभावी अभियान का लक्ष्य हो ● सेक्टर/अनुभाग/उद्योग के अनुसार विशिष्ट अभियान सामग्री का उपयोग करें ●सारी अभियान सामग्री में i) विशिष्ट मुद्दे सरकारी नीतियों से कैसे जुड़े हैं और ii) इन नीतियों को निर्धारित करने वाले शासक वर्ग की राजनीति का पर्दाफाश

करना है ● पहले प्रकाशित 'टॉकिंग पॉइंटस्' 'पम्फलेट्स' और 'बुकलेट्स' का उपयोग, स्थानीय उदाहरणों के उपयोग के साथ आवश्यक संशोधन करते हुए

कैसे?

● अभियान की योजना बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्य केंद्रों/पदाधिकारियों/कमेटियों पर; ● विस्तृत योजना (संख्या/स्थानों/यूनियनों आदि से संबंधित, अभियान का तौर तरीका, पर्चों की संख्या, पर्चे और पुस्तिकाएं प्रकाशित की जानी हैं, कहाँ और कौन प्रभारी होंगे आदि) जिला/राज्य सम्मेलनों में तय किया जाएगा। तत्पश्चात संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन का निर्णय लागू हो; ● अभियान सामग्री को समय पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य/जिला कमेटियों की; ● अभियान के लिए बजट तैयार हो; धन संग्रह की योजना हो; अभियान या अभियान सामग्री को कम करने का कारण धन की कमी नहीं हो; ● स्टिकर्स, बैनर्स, फ्लेक्स बोर्ड्स आदि के बजाय लीफलेट, पैम्फलेट और बुकलेट पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करना है; ● बैठकों में वक्ताओं को संबंधित मुद्दों और नीतियों के बारे में अच्छी तरह से तैयार होकर आना चाहिए; आम भाषणों से बचें; ● जहाँ भी संभव हो, वक्ताओं को तैयार करने के लिए वर्कशॉप/कक्षाऐं आयोजित करें; ● अभियान सामग्री को 'आंदोलनकारी' होना चाहिए, अर्थात् शासक वर्ग की राजनीति को बेनकाब करना, मजदूरों को कार्रवाई के लिए उत्तेजित करना; ● प्रत्येक अभियान और आंदोलन गतिविधि के साथ ही राजनीतिक वैचारिक चेतना को बढ़ाने के लिए उर्पयुक्त प्रचार गतिविधि का पालन किया जाना चाहिए; ● अभियान की योजना बनाने के लिए, सभी यूनियनों को अपने पदाधिकारियों/कमेटियों/केंद्रों की बैठकें करनी चाहिए; ● 'पदयात्रा' 'जत्था' आदि की संभावनाओं के साथ–साथ जहां भी संभव हो बिरादराना ट्रेड यूनियनों, किसानों के बिरादराना संगठनों, खेत मजदूरों आदि को साथ करने की संभावनाओं को तलाश करें और योजना बनाई जाए; हालाँकि यह हमारे प्राथमिक यूनियन स्तर की कमेटियों और सदस्यों के सक्रिय होने के बाद होना चाहिए

लक्षित परिणामः

● श्रम कानूनों में संशोधनों और निजीकरण से बुरी तरह प्रभावित सार्वजनिक और साथ ही निजी संगठित क्षेत्रों में मुकम्मल हड़ताल हो; ● मजदूर वर्ग के गुस्से को दर्षाते हुए समग्र रूप से अधिक व्यापक और गहन हड़ताल हो; ● उनकी एकजुट ताकत के बारे में मजदूर वर्ग में विश्वास बढ़ाना; ● शासक वर्ग की नीतियों और राजनीति के बारे में मजदूर वर्ग की चेतना बढ़ाना; ● हमारे प्रभाव को विस्तारित करना; ● कैडरों की पहचान करना; ● हमारी ताकत को बढ़ाना

सभी गतिविधियों में प्राथमिक स्तर की इकाइयों तक पूरा सीटू शामिल होना चाहिए, जिसमें 'जिन नहीं पहुँचे उन तक पहुँचना' 'मुद्दों को नीतियों से जोड़ना' और 'इन नीतियों को बढ़ावा देने वाली राजनीति को उजागर करने' के नारे को दृढ़ता से लागू करना है।

समीक्षा

उपरोक्त लक्ष्यों के आधार पर जब भी संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा तय किया जाये हड़ताल सहित सभी स्तरों पर हमारी सभी गतिविधियों की समीक्षा की जानी चाहिए।

कामकाजी महिलाओं के बीच काम से जुडे कार्य

● कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू) के कामकाज की समीक्षा सीटू के 16वें सम्मेलन में और साथ ही राज्य सम्मेलनों में की जानी चाहिए; ● सीटू के जिला और राज्य सम्मेलनों के साथ कामगार महिला समन्वय समिति के सम्मेलनों की योजना होनी चाहिए और सीटू सम्मेलनों के बाद कामगार महिला समन्वय समिति का सम्मेलन आयोजित होने चाहिए; ● मार्च 2020 में कामकाजी महिलाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा; इससे पहले सभी राज्यों में जिला और राज्य सम्मेलन पूरे होने हैं; ● 16वें सम्मेलन में महिला प्रतिनिधियों को 25% से कम नहीं होना चाहिए; यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएँ सभी क्षेत्रों से आयी हों, जहाँ महिलाएँ काम करती हों, केवल स्कीम वर्करों तक सीमित न हों। सीटू सम्मेलनों में चुनी गई कमेटियों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए; ● 2020 के अंत तक सीटू की सदस्यता को 1 करोड़ तक बढ़ाने के लक्ष्य के हिस्से के रूप में सीटू में महिला सदस्यता को दोगुना करना है; ● सभी स्तरों पर महिला कैडरों के विकास के लिए विशेष प्रयास हों; ● 'दि वॉयस ऑफ द वर्किंग वूमन' और 'कामकाजी महिला' का प्रसारण बढ़ाना है।

आंदोलनात्मक कार्य

● पी.ओ.एस.एच. (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम) अधिनियम और एडवा तथा ए.आई.एल.यू.के साथ मिलकर इसके कार्यान्वयन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हो; ● महिलाओं के काम से संबंधित विशिष्ट मांगों का चार्टर तैयार करने के लिए महिलाओं के श्रम के विभिन्न पहलुओं पर राश्ट्रीय संगोष्ठी/कार्यशाला आयोजित हो; ● महिलाओं के विशिष्ट मुद्दों पर दो महीने का देशव्यापी अभियान का समापन 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कामकाजी महिलाओं के 'जेल भरो' से हो जिसमें महिलाओं के सभी तबके शामिल हों। यह आह्वान सीटू के 16वें सम्मेलन से दिया जाना है।

एआइसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू की बैठक

सीटू की ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ वर्किंग वुमेन (एआइसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू) की जनरल काउसिंल स्तर की एक बैठक 6 अगस्त को, जनरल काउसिंल मीटिंग से एक दिन पहले, बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। बैठक में कुल 73 में से 48 महिला जनरल काउसिंल सदस्यों और 11 राज्यों की कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समितियों के संयोजकों ने भाग लिया। बैठक में सीटू के अध्यक्ष हेमलता और महासचिव तपन सेन ने भाग लिया। इसके उपाध्यक्ष मालथी चितिबाबू ने अध्यक्षता की। तपन सेन ने परिचयात्मक टिप्पणी की। एआइसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू के संयोजक और सीटू सचिव ए.आर. सिंधु ने रिपोर्ट रखी। चर्चा में 16 सदस्यों ने भाग लिया। एआइसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू (सीटू) ने सीटू जनरल काउसिंल बैठक में काम करने वाली महिलाओं के बीच काम से जुड़ी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। हेमलता ने समापन टिप्पणी की।

जनरल काउसिंल मीटिंग के प्रस्ताव

बाढ़ के हालातों पर

सेन्टर ऑफ इण्डियन टेड यूनियन्स (सीटू) की जनरल काउसिंल का यह सत्र जो कर्नाटक के हासन में हो रहा है के दौरान, भारत के पश्चिमी भागों में लगातार मानसून की बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण हुई मौतों पर गहरा शोक व्यक्त करती है।

केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, ओडिशा, उत्तराखंड और भारत के कुछ पूर्वी हिस्सों में मॉनसून की बारिश ने कहर बरपाया है। असम और बिहार जो मानसून की पहली अवधि के बाद से भारी बाढ़ का सामना कर रहे थे और वर्तमान बाढ़ में फिर से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ में कई लोगों की जान चली गई है और लाखों से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र में कम से कम 27 लोग डूब गए। कर्नाटक में 9 लोग डूब गए हैं, जबकि 44,000 लोग विस्थापित हुए हैं। केरल में लगभग 40 से अधिक लोग लापता थे। लगातार बारिश से मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है और तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों से सटे जिले भी प्रभावित हुए हैं।

केरल सरकार ने अधिक वर्षा के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रविवार तक के लिए अपने सभी कार्यों को स्थगित कर दिया है, क्योंकि बाढ़ के कारण हवाई अड्डे का रनवे पानी से भरा हुआ है। अधिकांश प्रभावित राज्य सरकारों ने शिक्षा संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) को पहले ही बुला लिया गया है। भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) के अनुसार, अगले दो दिनों में विशेष रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक बारिश होने की संभावना है।

मौतों पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए, सीटू की जनरल काउंसिल ने प्रभावित लोगों के साथ अपनी असहनीय एकजुटता व्यक्त की और केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों से युद्ध–स्तर पर बचाव और राहत कार्यों को तेज करने का अनुरोध किया। इसके अलावा सीटू जनरल काउंसिल की माँग है कि भारत सरकार को तुरंत आपातकालीन राहत राशि जारी करनी चाहिए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक बचाव दल और सामग्री भेजनी चाहिए।

सीटू संबंधित राज्यों में अपने सभी सदस्यों और आम तौर पर मजदूर वर्ग का आह्वान करता है, कि प्रभावित लोगों को बचाने और जल्द से जल्द वित्तीय सहायता सहित अधिकतम संभव राहत उपायों को सुनिश्चित करने के लिए इन राहत कार्यों में जुट जाएं।

———————————

महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करो – समाज में, कार्यस्थल पर; महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार और हिंसा बंद करो; दोषी को कड़ी सजा हो

7–10 अगस्त 2019 को कर्नाटक के हासन में आयोजित सीटू जनरल काउंसिल की बैठक में महिलाओं और बच्चों पर बढ़ती हिंसा और अत्याचार पर गंभीर चिंता और पीड़ा व्यक्त की गई, जिसमें भाजपा के शासन में तेज वृद्धि देखने को मिली है।

देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे बच्चों और शिशुओं के बलात्कार के भयानक मामलों सहित बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं मीडिया में बढ़ती आवृत्ति के साथ रिपोर्ट की जा रही हैं। भाजपा सरकार द्वारा लागू किए जा रहे नवउदारवाद ने महिलाओं की देहों का अशिष्ट व्यावसायीकरण ने इस तरह की हिंसा को बढ़ाने के लिए एक वातावरण तैयार किया है। मनुस्मृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से निर्देशित भाजपा सहित आरएसएस और उसके परिवार के सदस्यों के प्रतिगामी रवैये ने स्थिति को बिगाड़ने में बहुत योगदान दिया है।

यह देखना भयावह है कि सत्तारूढ़ दलों के नेताओं, विशेष रूप से भाजपा और आरएसएस के अन्य संगठनों के नेता, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ इस तरह के अपराधों के दोषियों के समर्थन में सामने आते हैं, जबकि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से उदासीन है। अपराधी को दंडित करने के बजाय, पीड़ित को दोषी ठहराने और उसे चुप कराने के ही प्रयास किये जाते हैं।

28 जुलाई को उन्नाव बलात्कार पीड़ित उसके परिवार और उसके वकील पर किए गए हमले को एक दुर्घटना करार देने के ढ़ौंग के रूप में सामने आना सबसे ताजा एव भयावह घटना है। यूपी में आदित्यनाथ सरकार ने भाजपा विधायक के खिलाफ बलात्कार की शिकायतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जब उसने नौकरी के लिए मदद मांगने वाली तब की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। इसके बाद ही उसने मुख्यमंत्री के घर के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया और इस मुद्दे ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरीं कि विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पिता को विधायक के भाई ने पीटा और पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई। विधायक ने केस वापस लेने के लिए उसे और उसके परिवार को जेल के अंदर से धमकी देना जारी रखा। आरोप है कि उसकी सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने विधायक को जेल में उसकी यात्रा के बारे में जानकारी दी। उसकी दो चाचियां मारी गयी है, जबकि वह लड़की और उसका वकील जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।

भाजपा द्वारा अपने विधायक कुलदीप सेंगर, के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह याद किया जाना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर में भाजपा के दो मंत्रियों ने कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और भयावह हत्या के आरोपियों को रिहा करने की माँग करते हुए रैली में बड़ी बेशर्मी से राष्ट्रीय ध्वज लेकर भाग लिया। बलात्कार और हत्या, बकरवालों को बेदखल करने की साजिश का हिस्सा थे, जिस समुदाय की वह लड़की थी, उस क्षेत्र में रहना इस समुदाय का परम्परागत अधिकार है। भाजपा द्वारा इन मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, दोनों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम केवल कागज पर बना हुआ है। शिकायत कमेटियों का गठन नहीं किया जाता है; उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जाता है। दोषियों को शायद ही कभी दंडित किया जाता है।

सीटू जनरल काउसिंल की यह बैठक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की माँग करती है और उन सभी लोगों के खिलाफ भी है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कृत्यों को प्रोत्साहित करते हैं।

सीटू जनरल काउंसिल की यह बैठक अपनी सभी संबद्ध यूनियनों, फेडरेशनों और राज्य कमेटियों से सभी मजदूरों, पुरुषों और महिलाओं, जाति, धर्म या क्षेत्र की परवाह किए बिना हिंसा, उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ लामबंद होने का आह्वान करती है। यह केवल महिलाओं या उनके संगठनों द्वारा संबोधित किया जाने वाला मुद्दा नहीं है। वर्ग के लिए प्रतिबद्ध एक ट्रेड यूनियन के रूप में सीटू महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार के अन्याय के खिलाफ लड़ाई में, और महिलाओं की गरिमा एवं समानता की माँग में सबसे आगे होना चाहिए।

– – – – – – – – – –

दलितों आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर हमले बंद करो; दोषियों को सजा दो; जनता की एकता सुदृढ़ करो;

हासन कर्नाटक में सीटू की 7–10 अगस्त, 2019 तक हो रही जनरल कौंसिल की बैठक, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों बढ़ते हमलों की कड़ी निंदा करती है और इन घिनौनी गतिविधियों को शीघ्र अतिशीघ्र बंद करने की मांग करती है।

बी जे पी की मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद हमलों में वृद्धि हुई है। मोदी 2 राज में इन हमलों में और वृद्धि हुई है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमले भाजपा की सरकारों व अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे है और भाजपा के नेतागण, अपराधियों को सार्वजनिक रुप से बधाईयां देते है। इससे अपराधियों, भूमाफियों और हिन्दुत्ववादी संप्रदायिको के हौसले बुलंद हो रहे है।

इनको राष्ट्रीय सेवक संघ का संरक्षण प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के उभा गॉव के जमीन हड़पने वाले गिरोह ने तीन महिलाओं सहित, 10 भूमिहीन आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। जो आदिवासी पिछले 70 सालों से जमीन को जोत रहे थे, उन पर ट्रक में लोड हथियारों से लैस लोगों ने हमला कर दिया।

लोगों को धराने धमकाने, अन्याय युक्त दंड देना और लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए लोकप्रिय भगवानों के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी धर्म को मानना या ना मानना, और किसी भी भगवान की पूजा करना या बात करना यह एक संवैधानिक हक है।

मोदी–2 की, सरकार के आफिस में आने के बाद 'जय श्रीराम' का इस्तेमाल लोगों को खासतौर मुस्लिम अल्पसंख्यको को धमकाने अन्याय युक्त दंड और कत्ल करने के लिए किया जा रहा है ना कि पूजा के लिए। यह सभी ग्रुप आर एस एस से संबंधित है। जब विपक्षी पार्टियों के या मुस्लिम सांसद सदस्य संसद में शपथ ग्रहण करने के लिए खड़े हुए तो उन्हें तंग करने के लिए बी जे पी के सांसदों ने अपमानजनक ढंग से संसद के धर्मनिरपेक्षता को ताक रखकर जय श्रीराम के नारे लगाने शुरु कर दिये, बहुत से मुस्लिम युवको को मजबूर करके मौत के घाट उतार दिया।

नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकार्ड के अनुसार बी जे पी के सत्ता में आने के बाद दलितों पर अत्याचार के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हुई है और जुर्म को सिद्ध करने में गिरावट आई है। सिटिज़नस् रिलिजियंस एंड हेट क्राइम वाच के आंकड़ों के अनुसार पिछले 9 सालों में 907 लींचिंग की घटनाएं हुई है, जिसके 62 प्रतिशत पीड़ित मुस्लिम है।

भगवान के नाम पर, गाय व बीफ के नाम पर ये जो हमले हो रहे है समाज के ध्रुवीकरण व जनता का ध्यान उनको ज्वलंत मुद्दे से हटाने के लिए हो रहे है और सरकार व शासक वर्ग लोगों की संपत्ति पर डाके डाल रहे है। मेहनतकश आवाम का शोषण और उनके हकों पर हमले कर रहे हैं, अगर संक्षिप्त में कहा जाय तो नवउदारवादी नीतियों को लागू करके भूस्वामियों, बड़े देशी व विदेशी पूंजीपतियों के लाभ के लिए काम रहे है।

यह समाज का ध्रुवीकरण करके नवउदरवाद के खिलाफ जनता के सन्नमुख संघर्ष को नाकाम करने की कोशिश मात्र है।

यह मजदूर वर्ग का कर्तव्य है कि वे भाईचारे को तोड़ने के किसी षडयंत्र को हराए और पूरे मजदूर वर्ग और मेहनतकश आवाम की एकता की रक्षा को चाहे वो किसी भी धर्म या इलाके का हो मजदूर वर्ग का यह भी कर्तव्य है कि वो सभी प्रकार के सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ दृढ़तापूर्वक संघर्ष करे और समाज के निचले तबके के लोगों के हकों की रक्षा करें क्योंकि वो मेहनतकश आवाम का ही हिस्सा है। इस काम का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि मोदी–2 सरकार, संसद में बढ़ी हुई ताकत से अंधे होकर पूरे देश में मजदूर वर्ग के विरोध को दबाते हुए सुधारों लागू कर रहे है।

सीटू की यह जनरल कौंसिल की बैठक मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत सावधानी और परिश्रम से करें।

– – – – – – – –

क्षेत्रीय भाषाओं में साथ के साथ अनुवाद

सीटू की जनरल काउसिंल की मीटिंग में, पहली बार 6 भाषाओं – बांग्ला, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु में एक साथ अनुवाद की व्यवस्था की गयी थी। और सीटू के आगामी 16वें सम्मेलन में भी इसे जारी रखने का निर्णय लिया गया।

साइडलाइन मीटिंगें

जनरल काउसिंल मीटिंग में अवकाश के दौरान, राष्ट्रीय स्तर पर टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, डिस्टिलरी और ब्रेवरीज, स्कीम वर्कर्स, डिफेंस, स्टील, कोयला आदि सेक्टरों में सेक्टरवाइज आंदोलन और समन्वय को विकसित/मजबूत करने के लिए कई साइडलाइन मीटिंग्स आयोजित की गईं।

जम्मू एवं कश्मीर में संवैधानिक व्यवस्था, संघीयवाद और लोकतंत्र पर सरकार के सत्तावादी हमले के खिलाफ

7–10 अगस्त 2019 को हुई सीटू की जनरल काउसिंल मीटिंग, जम्मू–कश्मीर की स्थिति से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधानों को वस्तुतः बिगाड़ने और निरस्त करने के केंद्र की भाजपा सरकार के एकतरफा और सत्तावादी कदम की निंदा करती है। यह चालबाजी से किया गया है, इसके लिए जरुरी संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, जिसमें विशिष्ट अग्रिम सूचना देने और संसद में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता को बेईमानी के तौर तरीके से टाल–मटोल करते हुए किया गया है।

यह पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जानलेवा होने के अलावा लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था पर नृशंस प्रहार है। भारतीय संघ का गठन हमारी जनता की एकता के आधार पर किया गया था जो मौजूदा विशाल विविधता को मान्यता देता है, यही हमारे स्वतंत्रता संग्राम की विरासत है। स्पष्ट तौर पर, आरएसएस/भाजपा किसी भी विविधता को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और जम्मू–कश्मीर और लद्दाख को दो अलग–अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बदल कर रहे हैं। इसके अलावा, संघीय ढांचे के अंदर राज्य की स्थिति को समाप्त करके केंद्रीय शासन के तहत लाने के उद्देश्य से संवैधानिक प्रावधानों में छेड़छाड़ करने की ऐसी विकृत कवायद उस संघवाद पर एक बड़ा हमला है, जो भारतीय संविधान का मुख्य आधार है। यह निश्चित रूप से सत्ता के सत्तावादी और फासीवादी केंद्रीकरण करने के इरादे से है।

इस तरह का कुकृत्य गंभीर राजनीतिक पतन के अलावा, जनता की एकता और राष्ट्रीय अखंडता, जिसमें बीजेपी कभी भी दिलचस्पी नहीं रही है इसीलिए उसे न्यूनतम झिझक भी नहीं है। यह भारतीय संविधान की तोड़फोड़ के लिए आगे भी सत्ता में शासक वर्ग और उनके एजेंटों की बेईमानी की चालों को उकसाएगा और प्रशस्त करेगा। मूल धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक आधार और देश के विभिन्न हिस्सों में जनता के लोकतांत्रिक और अन्य मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य संवैधानिक प्रावधान भी हमले के शिकार होंगे। यह मजदूर वर्ग के अधिकारों, जनता और लोकतंत्र पर भी इसी तरह के हमलों का संकेत है।

सीटू की जनरल काउंसिल इस तरह के एकतरफा कदम को, बेशर्म सत्तावादी व फासीवादी और लोकतंत्र की हत्या एवं संविधान की तोड़फोड़ के रूप में देखती है।

जनरल काउंसिल 4 तारीख की शाम के बाद से जम्मू–कश्मीर आधारित राजनीतिक दलों के नेताओं को गिरफ्तार करने या घर की गिरफ्तारी के अलावा, उनके इंटरनेट और मोबाइल/टेलीफोन सेवाओं को चौपट करने के सरकार के सत्तावादी कदम की भी निंदा करता है। यह सत्तावादी कदम जम्मू–कश्मीर पर संविधान की तोड़फोड़ के उनके षड्यंत्रकारी एकतरफा कदम की तैयारी थी। सीटू ने विधायक यूसुफ तारिगामी की घर में गिरफ्तारी की भी निंदा की, जो सीटू की जम्मू–कश्मीर कमेटी के अध्यक्ष भी हैं।

सीटू की जनरल काउंसिल, भाजपा सरकार के ऐसे अहंकारी, सत्तावादी और फासीवादी कार्रवाई के खिलाफ देशव्यापी एकजुट आंदोलन के माध्यम से काम करने के लिए कामकाजी जनता का आह्वान करती है। यह सत्तावाद और शक्ति के केंद्रीकरण के खिलाफ, अपने संघर्ष को एकीकृत करने के लिए मजदूर वर्ग का आह्वान करता है कि शोषण की व्यवस्था में शोषण और उनके अधिकारों एवं आजीविका पर हमलों के खिलाफ मजदूर वर्ग एकजुट संघर्ष को तेज करे।

– – – – – – – – – –

जम्मू–कश्मीर में सरकार की कार्रवाई : भारतीय गणराज्य की जनता के लिए अनिष्टकारी

जे.एस. मजुमदार

गत 5 अगस्त से 8 अगस्त तक आर एस एस के नेतृत्ववाली भाजपा की केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व तेजी के साथ भारत के संविधान को संशोधित कर दिया, जम्मू–कश्मीर राज्य को भंग कर डाला, तोड़ डाला और इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र तथा उसकी 1.25 करोड़ आबादी को अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया।

पहले कदम के रूप में 5 अगस्त को संसद और जम्मू–कश्मीर की जनता को दरकिनार करते हुए केंद्रीय कानून तथा न्याय मंत्रालय ने जम्मू–कश्मीर के लिए सरकारी आदेश जारी किया जिसमें यह कहा गया कि '' वक्त–वक्त पर संशोधित हुए संविधान के तमाम प्रावधान जम्मू–कश्मीर राज्य आदि के सिलसिले में लागू होंगे '' और इस तरह धारा 370 के तहत विशेष प्रावधान खत्म हो गया।

मोदी सरकार यहीं नहीं रुकी और उसने उसी दिन दूसरा कदम भी उठाया। एक 55 पेजी विधेयक संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया और मात्र दो दिन में अर्थात 5–6 अगस्त को पारित कर दिया गया। 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मोहर लगा दी और उसी दिन जम्मू–कश्मीर राज्य को भंग करते हुए '' जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019'' पर एक गजट अधिसूचना जारी कर दी गयी और इसे दो अलग एंटीटीज के रूप में तोड़ दिया गया और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में उन्हें सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। सरकार की इस कार्रवाई से सिर्फ जम्मू–कश्मीर का तथाकथित भेदभावकारी विशेष दर्जा ही खत्म नहीं किया गया, यह कार्रवाई खुद भी भेदभावकारी और दंडत्मक है जिसके जरिए एक राज्य को भंग कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया और उसका दर्जा घटा दिया गया। भारत के एक गणराज्य बनने के बाद से ऐसा पहली बार हुआ।

इस बीच पूरी कश्मीर घाटी बंद रही। वाणिज्य,व्यापार, शिक्षण संस्थान बंद रहे। सड़कों पर तमाम आवाजाही को रोक दिया गया। टेलीकम्युनिकेशन बंद कर दिया गया, नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली गयी। राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय पार्टियों के विपक्ष के राज्य स्तरीय नेता घर में नजरबंद कर दिए गए, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के नेताओं –सी पी आइ (एम) तथा सी पी आइ के महासचिवों को श्रीनगर हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया। जहां इमरजेंसी से भी खराब स्थिति है।

सी पी आइ (एम) की केंद्रीय कमेटी के सदस्य, राज्य सीटू के अध्यक्ष और घाटी से चार बार विधायक मोहम्मद युसुफ तारीगामी समेत जम्मू–कश्मीर के राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जहां यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि तारीगामी आतंकवादियों तथा पृथकतावादियों के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर रहे हैं और इसलिए आतंकवादियों के हमलों के निशाने पर रहे हैं।

आतंकवादी, तारीगामी के परिवार के छः सदस्यों की हत्या कर चुके हैं। खुद श्रीनगर में उनके विधायक निवास पर दो बार हमले हो चुके हैं। जम्मू–कश्मीर में सी पी आइ (एम) के 12 सदस्य आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं। फिर भी मोदी सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने के नाम पर तारीगामी तथा अन्य लोगों को नजरबंदी में रखा हुआ है।

केंद्र सरकार जम्मू–कश्मीर को इसी तरह से '' एकराष्ट्र एक विधान'' के तहत लेकर आयी है जैसा कि इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से अपने स्वाधीनता भाषण में प्रधानमंत्री ने दावा किया है, जो इससे पहले 6 अगस्त को जारी आ एस एस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के अनुरूप ही है जिसमें यह कहा गया था कि ''संविधान निर्माताओं का इरादा यही था कि संविधान सभी राज्यों पर समान रूप से लागू हो जिसे केंद्र सरकार ने पूरा किया है।'' जम्मू–कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के गिर्द चलनेवाले सार्वजनिक विमर्श,मीडिया हाइप,''एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री का दावा और आर एस एस प्रमुख का यह कहना कि जम्मू–कश्मीर समेत सभी राज्य समान हैं आदि सभी अगस्त महीने की शुरूआत के उन पांच दुर्भागयपूर्ण दिनों में जो कुछ भी वास्तव में हुआ, उसके पूरी तरह विपरीत है। जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के जरिए जिस तरह से जम्मू–कश्मीर राज्य भंग कियागया तथा तोड़ा गया,वह भारतीय संघीय गणराज्य पर सबसे बड़ा हमला है।

संविधान का पहला हिस्सा इसी से शुरू होता है '' इंडिया,जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा।'' संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का तय विभाजन है। केंद्र शासित क्षेत्र (जिनमें कुछ में विधानसभाएं भी हैं) सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित हैं और वे राज्यों के अधिकारों से वंचित हैं।

संविधान के शिडयूल–एक में ''राज्यों की सूची'' दी गयी है जिसमें सभी के तय क्षेत्र हैं। इनमें 15 वां राज्य जम्मू–कश्मीर है जिसके पास दूसरे राज्यों की बनिस्बत कुछ ज्यादा स्वायत्त अधिकार हैं। सूची–2 के अनुसार इन राज्यों के अपने कुछ स्वायत्त अधिकार हैं, जिन्हें वे संविधान की सूची–3 के अनुसार केंद्र के साथ शेयर करते हैं। मोदी सरकार ने न सिर्फ जम्मू–कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म किया है बल्कि जम्मू–कश्मीर राज्य के तमाम अधिकारों को भी अपने हाथ में ले लिया है, इसे तोड़ दिया है और जम्मू–कश्मीर की जनता को राय जाने बिना ही पूरे क्षेत्र और उसकी जनता को सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन में ले लिया है। यह भारत के लोकतांत्रिक संघीय गणराज्य की बुनियादी विशेषताओं के खिलाफ है और अन्य राज्यों की जनता के लिए भी अनिष्टकर है। यह आर एस एस की कल्पना के अनुसार एकरूप ''एक भारत की दिशा में उठाया गया कदम है।

भारत गणराज्य के गठन के समय से ही तत्कालीन अनेक राज्यों के पुनर्गठन कानूनों के जरिए जनता की इच्छानुसार अनेक राज्यों का गठन हुआ है, जिनमें सबसे नया राज्य देश के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना है। बहरहाल, भारतीय गणराज्य के गठन के बाद से पहली बार किसी राज्य को इस तरह तोड़ा गया है और उसे '' राज्यों की सूची '' से हटा दिया गया है। इस तरह भारतीय संविधान में राज्यों की कुल संख्या घटकर 28 रह गयी है।

एक दूसरा पहलू है जम्मू–कश्मीर राज्य के इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश,जिसमें मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ''दूसरे'' वल्लभभाई पटेल, जिनकी प्रतिमा का हाल ही में ''सिंबल ऑफ युनिटी'' के रूप में हाल ही में अनवारण किया था, की भूमिका अदा कर रहे हैं।

आर एस एस के नजरिए से देखते हुए केंद्र की मौजूदा सरकार ने जम्मू–कश्मीर के इतिहास को गलत ढंग से पढ़ा है। वे उसे तत्कालीन हैदराबाद राज्य के समान मानकर चल रहे हैं। तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभभाई पटेल ने निजाम के निजी सशस्त्र बल–घृणित ''रजाकारों'' द्वारा किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ तेलंगाना के सशस्त्र किसान विद्रोह, जो कि जनता की इच्छा का ही प्रतिबंबन था– की पृष्ठभूमि में 1948 में हैदराबाद राज्य के खिलाफ ''पुलिस कार्रवाई'' शुरू करके निजाम को इंडियन डोमिनियम के साथ ''विलय के इस्तावेज'' पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था।

इसके विपरित जम्मू–कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरिसिंह, जो शुरू में स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन हालात से मजबूर होकर जिसने पाकिस्तानों हमलावरों श्रीनगर को बचाने के लिए भारतीय सेना को आमंत्रित किया और शेख अब्दुल्ला, जो पाकिस्तानी हमलावरों के खिलाफ कश्मीरी जनता के बहादुरीपूर्ण प्रतिरोध आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, के कहने पर ''विलय के दस्तावेज'' पर हस्ताक्षर किए। बाद में ''विलय के दस्तावेज'' के साथ जुड़े एक विशेष दर्जे को धारा 370 के रूप में संविधान में शामिल किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू–कश्मीर राज्य के खिलाफ मौजूदा ''कार्रवाई'' जम्मू–कश्मीर की पूरी जनता और उसके राजनीतिक नेतृत्व, के खिलाफ केंद्रित हैं, जिसने पाकिस्तानी हमलावरों का प्रतिरोध किया था और भारत के साथ पाक प्रायोजित आतंकवादियों के हमलों का सामना किया है और संसद, राज्य तथा स्थानीय निकायों के चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया है और इस तरह जनमत संग्रह संबंधी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को खारिज करने के लिए भारत को मजबूत आधार प्रदान किया हैं।

''विलय का यह दस्तावेज'' तत्कालीन पूरे जम्मू–कश्मीर राज्य के लिए था, जिसमें पाक अधिकृत क्षेत्र भी शामिल हैं। तत्कालीन जम्मू–कश्मीर राज्य के ''विलय के दस्तावेज'' को पूरी तरह ठुकराने और जम्मू–कश्मीर को भंग कर उसे तोड़ने से पुराने घाव फिर हरे हो गए हैं और पुराने विवाद फिर सामने आ गए हैं और शिमला समझौते के अनुसार द्विपक्षीय– विचार–विमर्श के जरिए दो पड़ोसी देशों के बीच किसी भी तरह के समाधान को ही नकार दिया गया है। अमित शाह की कार्रवाई ने जम्मू–कश्मीर की जनता को और ज्यादा अलग–थलग डाल दिया है और नए आंतरिक तथा बाहरी विवादों की जमीन तैयार कर दी है।

एक दूसरा पहलू प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू–कश्मीर की जनता पर एक नव–उदारवादी हमला है जिसमें राज्य के लिए संरक्षणात्मक आवरण को हटा दिया गया है और हटाने के बाद घरेलू तथा विदेशी नव–उदारवादी कार्पोरेटों को जम्मू–कश्मीर के ''विकास'' के लिए मोदी के दरबारी कार्पोरेटों के बीच होड़ लगी हुयी है और उनमें से अनेक ने इसमें भागीदारी की घोषणा भी कर दी है। अडानी पूर्ववर्ती जम्मू–कश्मीर राज्य को हड़पने के मामले में सबसे आगे है। उसने अपने ''विकास के कार्यक्रम'' के लिए एक ''टास्क फोर्स'' गठित करने की घोषणा कर दी है। किसी भी तरह के जनतांत्रिक मंच के अथाव में उनसे सवाल करनेवाला कोई नहीं होगा और सीधे केंद्र के मोदी प्रशासन की ''सुरक्षा सतर्कता'' के तहत लोगों को समय–समय पर इसी तरह घरों में बंद किया जाता रहेगा।

उद्योग एवं क्षेत्र

प्रतिरक्षा

सीटू जनरल काउंसिल मीटिंग का प्रस्ताव

vkMhuUl QSfDV;ksa ¼vk;q/k dkj[kkuksa½ ds fuxehdj.k ds f[kykQ] Áfrj{kk {ks= ds deZpkfj;ksa ds l?k"kZ ds leFkZu esa(20 vxLr 2019 ls Áfrj{kk deZpkfj;ksa dh eghuk Hkj ywch gM+rky ds lkFk ,dtqVrk esa

7–10 अगस्त 2019 को हो रही सीटू की जनरल काउंसिल की बैठक, केन्द्र की बीजेपी सरकार के विनाशकारी कदम के खिलाफ आयुध कारखानों और संबंधित प्रतिरक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा जारी एकजुट संघर्ष को अपना समर्थन दोहराती है। आयुध कारखानों द्वारा उत्पादित की जा रही वस्तुओं के आधे से अधिक को बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से, आयुध कारखाना नेटवर्क का निजी क्षेत्र के पक्ष में निजीकरण से इन आयुध कारखानों की क्षमता के उपयोग में खलल डालकर ध्वस्त करने का प्रयास है।

दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीतने के बाद, भाजपा सरकार अब ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज नेटवर्क को एक घातक झटका देने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर, ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज का निगमीकरण उनका पूरी तरह निजीकरण करके बड़ी संपत्ति और सबसे आधुनिक उत्पादन के बुनियादी ढांचे को निजी हाथों में सौंपने की सुविधा हासिल करने का एक कुत्सित इरादा है।

प्रतिरक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों के सभी कर्मचारी फेडरेशन; ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलाइज फेडरेशन (एआइडीइएफ), इण्डियन नेशनल डिफेन्स वर्कर्स फेडरेशन (आइएनडीडब्ल्यूएफ), भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (बीपीएमएस) और अन्य ने इस प्रतिगामी कदम का विरोध किया है और संयुक्त रूप से 20 अगस्त से सभी आयुध कारखानों में एक महीने की लंबी हड़ताल करने का फैसला किया है और इस फैसले को वापस लेने की माँग की है। पूरे देष में सभी 41 आयुध कारखानों में तैयारी अभियान जोरों से चल रहा है।

जनरल काउंसिल ने प्रतिरोध संघर्ष के ऐसे बहादुराना निर्णय के लिए प्रतिरक्षा कर्मचारियों और उनके फेडरेशनों को बधाई देते हुए उनके इस वीरतापूर्ण संघर्ष के साथ पूरी एकजुटता जतायी है।

जनरल काउंसिल ने सभी सीटू यूनियनों से, अपने संबंधित क्षेत्रों में रक्षा कर्मचारियों की हड़ताल की तैयारी के लिए अपने–अपने क्षेत्रों और राज्यों में आयुध फैक्ट्री यूनियनों के साथ तालमेल करके, 20 अगस्त से पहले और बाद में और ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज के पास सक्रियता एकजुटता में लामबंदी करने का आह्वान किया। सीटू को हड़ताली कार्रवाई चलने के दौरान हड़ताली मजदूरों को हर प्रकार का समर्थन प्रदान करना चाहिए, और पूरे देश में जनता और मजदूरों के बीच उनके संघर्ष के समर्थन में अभियान का आयोजन चाहिए।

प्रतिरक्षा कर्मी 30 दिन की ऐतिहासिक हड़ताल पर

देश भर के सभी 41 आयुध कारखानों में 82,000 से अधिक प्रतिरक्षा नागरिक कर्मचारियों और आयुध कारखानों से जुड़े महानिदेशालय, गुणवत्ता आश्वासन विभाग (डीजीक्यूए) के कर्मचारियों ने, आयुध कारखानों के निगमीकरण के खिलाफ अपनी ऐतिहासिक 30 दिनों की हड़ताल 20 अगस्त को शुरू की।

मोदी–1 शासन के दौरान मार्च 2015 में कर्मचारियों और संसद में उत्तरोत्तर रक्षा मंत्रियों द्वारा स्पष्ट आश्वासन कि आयुध कारखानों का निगमीकरण नहीं किया जाएगा को धोखा देते हुए; मोदी– 2 सरकार ने अपने निजीकरण के रास्ते पर चलते हुए, आयुध कारखानों को निगम में बदलने का निर्णय लिया है। यह हड़ताल इस विश्वासघात के खिलाफ है।

तीन महसंघों एटक–सीटू–एचएमएस की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) द्वारा महीने भर की हड़ताल का आह्वान किया गया था जिसे ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलाइज फेडरेषन (एआइडीइएफ), इंटक के इण्डियन नेशनल डिफेन्स वर्कर्स फेडरेशन (आइएनडीडब्ल्यूएफ) और बीएमएस के भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (बीपीएमएस) ने समर्थन किया। यहाँ तक कि मान्यता प्राप्त स्टाफ एसोसिएशनों (सीडीआरए), जिन्होने हड़ताल का नोटिस नहीं दिया, वो भी पूरी तरह से हड़ताल में शामिल हो गए।

हड़ताल के तीसरे दिन इस रिपोर्ट के बनने तक, समूह ए के अधिकारियों को छोड़कर हड़ताल मुकम्मल थी। आवश्यक ड्यूटी वाले कम संख्या में कर्मचारियों को हड़ताल से छूट दी गई थी।

कई जगहों पर सीटू सहित केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने हड़ताली मजदूरों के साथ एकजुटता में रैलियां, नुक्कड मीटिंगें, प्रदर्शन आदि किए। बैंक के राष्ट्रीय फेडरेशन, केंद्र सरकार के कर्मचारी और अन्य लोग भी हड़तालियों के साथ एकजुटता में खड़े थे।

सीटू ने हड़ताल के समर्थन में देहरादून में हैंडबिल बांटे; कानपुर में संयुक्त ट्रेड यूनियनों की बैठकें हुईं; सीटू ने हैदराबाद में हड़ताल की एकजुटता में कई पहलें की; पश्चिम बंगाल में सीटू ने कोसीपुर और इछापुर में नुक्कड़ सभाओं, रैलियों और जनसभाओं का आयोजन किया।

एक बयान में, सीटू ने प्रतिरक्षा कर्मचारियों को उनकी महीने भर की हड़ताल की सफल शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं। सीटू ने कहा, ''भाजपा और मोदी, जिन्होंने 'राष्ट्रवाद' का घना प्रचार किया, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने सहित प्रतिरक्षा क्षेत्र का निजीकरण करके राष्ट्रीय सुरक्षा को विदेशी कंपनियों सहित मुनाफे की भूखी कंपनियों के हवाले कर रही है।'' कारगिल युद्ध और सर्जिकल स्ट्राइक सहित देश की सशस्त्र बलों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने में आयुध कारखानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारगिल युद्ध के दौरान कर्मचारियों ने दिन–रात काम किया और ओवरटाइम के रूप में एक पैसा भी लिए बिना सशस्त्र बलों को आपूर्ति सुनिश्चित की। सीटू ने अपने बयान में कहा है कि कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से, मजदूरों और कर्मचारियों ने राष्ट्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता साबित की है, और भाजपा सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को ही गिरवी रखने की कोशिश कर रही है।

सीटू ने अपनी सभी संबद्ध यूनियनों और फेडरेशनों से प्रतिरक्षा कर्मचारियों को सभी प्रकार की सहायता और एकजुटता प्रदान करने का आह्वान किया है और आम जनता से प्रतिरक्षा कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन करने का भी आग्रह किया जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं।

राज्यों से

बिहार

आँगनवाड़ी यूनियन का सम्मेलन

6–7 जुलाई, 2019 को अरवल में आयोजित बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका संघ के 6वें सम्मेलन के खुले सत्र का उद्घाटन एआईएफएडब्ल्यूएफ की अध्यक्ष और सीटू की राष्ट्रीय सचिव उषा रानी ने किया और सीटू के राज्य नेताओं गणेश शंकर सिंह, दीपक भट्टाचार्य और अन्य ने भी संबोधित किया।

सम्मेलन के कार्यवाही सत्र का उद्घाटन एआईएफएडब्ल्यूएफ की महासचिव और सीटू की राष्ट्रीय सचिव ए.आर. सिंधु ने किया, जिसमें 7 जिलों के 300 प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया। सम्मेलन ने मुजफ्फरपुर में एईएस के कारण 150 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में एक प्रस्ताव पारित किया और राज्य सरकार की विफलता की निंदा की साथ ही कई प्रस्ताव पारित किये गये।

सम्मेलन की रिपोर्टों को पारित करने के बाद, इसने 40 – सदस्यीय राज्य वर्किंग कमेटी का चुनाव किया जिसमें 19 पदाधिकारियों के साथ अध्यक्ष के रूप में सोनी कुमारी, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में शोवा सिन्हा, महासचिव के रूप में मोहम्मद युसुफ को चुना।

संघर्ष व बलिदान के 100 वर्ष

मजदूर वर्ग की एकता के लिए संघर्ष के 50 वर्ष

कोयला उद्योग में मजदूर आंदोलन

जी के श्रीवास्तव

निजी कोयला खदानों का अभिशाप

कोयला ऊर्जा का एक प्राथमिक स्रोत है और देश में बिजली का लगभग 65 प्रतिशत कोयले से पैदा होता है। गैर–वैज्ञानिक ढंग से कोयले का खनन बहुत ही खतरनाक होता है। झरिया के जलते कोलफील्ड ऐसे कसाई खनन का सबसे बुरा उदाहरण है। झरिया कोलफील्ड में सबसे पहले 1916 में जिस आग का पता चला था वह खास झरिया खदान में थी जिसका निजी स्वामित्व सेठ खोरा रामजी चोवडा के पास था। एक मोटे अनुमान के अनुसार जमीन के नीचे लगातार लम्बे समय से धधक रही आग के स्थानों की संख्या 84 है। निजी कोयला खदानों के समय से इस प्रकार का कसाई कोयला खनन रानीगंज व झरिया कोलफील्ड में अभी भी एक अभिशाप बना हुआ है।

निजी स्वामित्व में कोयले के खनन की शुरूआत 1774 में आज के पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोलफील्ड में नारायन कुरी में हुई थी और 2500 मन कोयले का उत्पादन कर 1775 में सरकार को दिया गया था।

लगभग 40 वर्ष बाद, 1814 में एगरा के बाद दूसरी खदान शुरु की गयी थी। इसके बाद 1820–25 के बीच रानीगंज कोलफील्ड में और कई खदानें शुरु की गयीं। बाद में निजी कोयला खनन का विस्तार 1894–1900 के बीच झरिया कोलफील्ड तक, 1915 में जैंती, 1920 में रामगढ़, 1859–1890 के बीच राजमहल, 1908 में बोकारो तक जो सभी वर्तमान झारखंड में है; संयुक्त आंध्र प्रदेश में 1920 में सास्ती तक तथा 1872 में सिंगारेनी तक, तब के केन्द्रीय प्रांत में 1884 में उमरिया, 1898 में जोहिल्ला तक, 1903 में पंच कान्हा घाटी तक, 1921 में सोहागपुर, 1920 में गुगस; ओडिशा में 1923 में तलचर तक, 1913 में आइ.बी वैली; असम में 1881 में लेडो और नामडेंग और भारत के कुछ और भागों तक किया गया।

निजी खदानों में शोषण और मजदूरों की अमानवीय स्थितियाँ

शुरुआती खनन हाथ से कुदाल,गैतीं आदि जैसे औजारों की मद्द से किया जाता था। खनिक बिना उजाले व हवा वाली भूमिगत सुरंगों/ गैलरियों में कोयला खनन के लिए लाल्टेन या डिबरी का उपयोग रौशनी के लिए करते थे। बाद में कुदाल खनन विस्फोटकों के प्रयोग वाले विस्फोटक खनन में बदल गया; खदानों के अंदर बिजली का प्रयोग किया जाने लगा और हवा के लिए मैकेनाइज्ड वैंटिलेटरों का प्रयोग होता था। भूमिगत कर्षण, रास्ते,पंप लगाये गये। शुरु के चरणों में,कोयला खदानों के मजदूरों की भर्ती स्थानीय थी जिसमें ज्यादातर सामाजिक रुप से हाशिये पर पड़े तबकों,दलितों जैसे बौरी और आदिवासी जैसे संथालो से संबंध रखते थे। दुर्घटनाओं व मौतों की ऊंची दर के कारण स्थानीय लोग खदानों में काम करने से बचने लगे और अनुपस्थिति की दर बहुत बढ़ गई। काम के अमानवीय हालातों के विरुद्ध स्थानीय लोगों का विरोध भी बढ़ना शुरु हो गया था।

इन परिस्थितियों में और मजदूरों के अधिक शोषण के द्वारा ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए कोयला खदान मालिको ने प्रवासी मजदूरों को लाना शुरु किया जो अधिकतर आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, आडिशा व मध्य प्रदेश के थे। ऐसे सभी प्रवासी मजदूर समूहों में कम्पनी के बनाये या स्वयं बनायी गई झौंपड़ियों में रहते थे। इन्हें लाने वाले लोगों का दर्जा अलग था और उन्हें 'सरदार' कहा जाता था। खदान मालिक 'सरदारों ' का इस्तेमाल मजदूरों को नियंत्रित व उनका शोषण करने के लिए करते थे। मजदूरों को देसी शराब व अन्य मादक पदार्थों के सेवन की ओर धकेला जाता था। सरदारों– लठैतों (जो सुरक्षा प्रहरी के नाम पर होते थे)– मालिकों सूदखोरों का गिरोह मजदूरों पर शारीरिक अत्याचार करता था और उनके वेतन आदि छीन लेता था।

गोरखपुर लेबर डिपो (कोलफील्ड भर्ती संगठन) के माध्यम से आने वाले प्रवासी मजइदूरों को घिरे हुए शिविरों में रखा जाता था जहाँ रहने खाने के लिए मजदूरों को एक नियत रकम अदा करनी होती थी। ये शिविर जेलों के जैसे थे। इनमें रहने वालों को बाहर के लोगों से जिन्हे सिविलियंस कहा जाता था, मिलने–जुलने का अधिकार नहीं था। शिविर के मुखिया को 'कमांडर' कहा जाता था। ड्यूटी पर मजदूरों को ज्यादा तेजी से काम करने को मजबूर किया जाता था। काम से गैरहाजिरी या शिविर की व्यवस्था का उल्लेघन करने पर शारीरिक सज़ा दी जाती थी।

कोयला खदानों में ट्रेड यूनियन की शुरुआत

खदान मालिक मजदूरों के जीवन को असहनीय बनाते जा रहे थे; उनकी शिकायतें व मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। वे बेचैने हो रहे थे। कुछ घटनाओं का खदान मजदूरों पर गहरा असर पड़ा और इनसे उन्हें एकजुट होने की प्रेरणा मिली। 1918 में टाटा की सिजुआ कोलियरी (धनबाद) के मैनेजर जे.डब्ल्यू. केस ने एक मजदूर इन्दु भूषण चटर्जी को रात की पाली में काम करने का आदेश दिया जबकि वह पहले ही उस दिन सुबह से शाम तक लगातार दो दो पालियों में काम कर चुका था। उसे आराम की सख्त जरुरत थी और उसने काम पर न लगाये जाने का आग्रह किया। आग बबूला हुए केस ने चटर्जी को मारा–पीटा। इसके खिलाफ कोल मजदूरों का स्वयंस्फूर्त विरोध हुआ। बाद में पटना पटना उच्च न्यायालय ने केस पर जुर्माना लगाया और लिखित माफीनामा लिया। इस मामले की सफलता ने मजदूरों का सामूहिक संगठन बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया और इंडियन कोलियरी एम्पलाईज एसोसिएशन के नाम से कोयला मजदूरों का पहला संगठन जून 1920 में बना।

पहले विश्व युद्ध के बाद आवश्यक वस्तुओं के दामों के आसमान छूने और वेतन के जस का तस रहने के चलते मजदूरों में बेचैनी बढ़ी और उन्होने लोकप्रिय राजनैतिक नेतृत्व के तहत संगठित होना शुरु किया। इस घटनाक्रम ने दिसम्बर, 1920 में धनबाद में पहली एटक कोल यूनियन के बनने में भी योगदान दिया। 18 दिसम्बर, 1920 को एटक के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय झरिया कोलफील्ड आये। उनके दौरे ने यूरोपीय खदान मालिकों में घबराहट पैदा कर दी।

एटक का दूसरा सम्मेलन 1921 में झरिया कोयला पट्टी में हुआ था। घबराये कोयला खदान मालिकों ने इस सम्मेलन को रोकने के लिए वायसराय को तार भेजा; परन्तु ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का साहस नहीं किया। सम्मेलन का सत्र 30 नवम्बर, 1921 को लाला लाजपत राय की उपस्थिति में और जोसेफ बैपटिस्ता की अध्यक्षता में शुरु हुआ। एटक के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में 50,000 से ज्यादा मजदूरों ने भाग लिया। हजारों की संख्या में कोयला मजदूर इसमें उपस्थित थें और सभी खदानें लगातार तीन दिन तक बंद रही थीं।

इस सम्मेलन ने पहला प्रस्ताव 'स्वराज' के लिए पारित किया, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध ऐसा पहली बार हुआ था। सम्मेलन का दूसरा प्रस्ताव साम्राज्यवादी देशों की घेरेबंदी में फंसे समाजवादी रुस के अकालग्रस्त लाखों लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के पक्ष में था। सम्मेलन ने टोकन मदद भेजने का संकल्प करते हुए भारतीय मजदूरों से एक दिन का वेतन रुस के अकाल पीड़ित लोगों के लिए दान करने की भी अपील की थी। तीसरा प्रस्ताव कोयला मजदूरों के मुद्दों पर था जिसमें कोयला जमदूरों को संगठित करने का आह्वान किया गया था।

कोयला मजदूरों ने एटक के तहत संगठित होना शुरु किया। निजी मालिकों के गुंडों द्वारा सैकड़ों कोयला मजदूर नेताओं की हत्याऐं की गयी।हजारों कैडरों को झूठे मामलों में फंसाकर जेलों में डाला गया। इस सारे दमन के बावजूद, एटक की कोयला यूनियनों ने अपने लगातार संघर्षों के जरिये कोयला मजदूरों की आवाज को बुलंद करना जारी रखा। 1922 में स्टैंडर्ड कोलियरी गिरीडीह के मजदूरों ने वेतन में बढ़ोत्तरी की माँग करते हुए हड़ताल की। 1926–27 में मजदूरों द्वारा अधिक वेतन और काम के हालातों में सुधार की माँग को लेकर आलगोरा कोलियरी में सिमला बहाल में एक और सफल हड़ताल की। इस दौरान कई और हड़तालें व संघर्ष भी हुए।

शुरु में, इंडियन कोलियरीज एम्पलाईज एसोसिएशन कोयला मजदूरों का प्रतिनिधि संगठन थी। बाद में, 28 अप्रैल 1930 को टाटा कोलियरी लेबर एसोसिएशन बनी।

बाद मे इंडियन कोलियरी एम्पलाईज एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर इंडियन कोलियरी लेबर यूनियन कर लिया और यह अगस्त 1932 में ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के तहत पंजीकृत हुई। एटक के नेतृत्व में और भी कई कोयला मजदूरों की यूनियनें बनीं जिनमें इंडियन माइनर्स एसोसिएशन (1933), कोल वर्कर्स यूनियन (1938), छोटा नागपुर मजदूर संघ (1939), कस्तोर वर्कर्स

यूनियन (1939), इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर (1939), लोयाबाद कोक प्लांट वर्कर्स यूनियन एंड लोयाबाद पावर हाऊस वर्कर्स यूनियन (1941), आल इंडिया कोलियरीज मजदूर यूनियन (1943), इंडियन कोलियरीज वर्कर्स यूनियन (1946), भोवरा कोक प्लांट वर्कर्स यूनियन (1946) शामिल थीं। कोलफील्ड की ट्रेड यूनियनों का कई राजनैतिक दलों द्वारा समर्थन किया गया था। देवेन सेन के नेतृत्व में मजदूर काँग्रेस यूनियन को रानीगंज में 1946 में संगठित किया गया था। इसी वर्ष बंकिम चैटर्जी के नेतष्त्व में बंगाल कोल वर्कर्स यूनियन का भी गठन हुआ था।

1967 के दौर में, वेतन बढ़ोत्तरी को लेकर अलग–अलग कोलियरीज में हड़तालें हुई। रानीगंज में यूनियन के अंदर की प्रतिद्विंदिता को लेकर कोलफील्ड के मजदूर दिक्कतों का समाना कर रहे थे जिसके चलते हिंसात्मक घटनायें भी हुई। झरिया में, यूनियन नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्याओं की एक पूरी श्रष्खला चली जिनमें इंटक नेता बी.पी. सिन्हा की हत्या भी शामिल थी, इस घटनाक्रम ने ट्रेड यूनियन आंदोलन को हिला दिया था। कोयला उद्योग में बनी इस स्थिति ने कई सारी क्राफ्ट यूनियनों व उद्योग माफिया को पैदा किया था। जो कोयला मजदूरों के शोषण का औजार बनीं।

कोयले का राष्ट्रीयकरण; कोयला मजदूरों के संघर्ष व सीटू

कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण 1973 में हुआ और सार्वजनिक उपक्रम के रुप में कोल इंडिया लिमिटेड (सी आइ एल) बनी। सीटू की स्थापना के बाद, झरिया व रानीगंज कोलफील्ड में मजदूरों की माँगों को लेकर माफियाओं व सूदखोरों के खिलाफ बड़े संघर्ष छेड़े गये। इनका नेतृत्व रानीगंज कोलियरीज में हराधन रॉय, रॉबिन सेन, बामपदा मुखर्जी, सुनील बसु रॉय, बिकास चौधुरी ने किया। सत्तर के दशक की शुरुआत में, रानीगंज कोलफील्ड में सीटू के 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्याऐं हुईं, कईयों को झूठे मामले बनाकर जेल में डाला गया।

झरिया–धनबाद कोलफील्ड में ए.के. रॉय व एस.के. बख्शी कोयला मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। झरिया–धनबाद व पास के इलाकों में प्रबंधन के साथ मिलकर माफियाओं द्वारा 55 से अधिक सीटू नेताओं व कार्यकर्ताओं की हत्याऐं की गईं। हजारों मजदूरों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया तथा धनबाद में बी.सी.के.यू. के अनुभवी नेता साधन गुप्ता सहित 15 नेताओं व कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इन सभी संघर्षों के दौर में सीटू, ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. में एक बड़ी ताकत बन गई। सी.सी.एल. में भी सीटू यूनियनों का अच्छा–खासा प्रभाव था और एस.ई.सी.एल. व डब्ल्यू.सी.एल. में भी उसकी कुछ उपस्थिति थी।

1979 में सीटू की आल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन (ए.आइ.सी.डब्ल्यू.एफ.) की स्थापना हुई और एम.के. पंधे उसके अध्यक्ष तथा सुनील बसु रॉय उसके महासचिव बने। फेडरेशन ने कोल ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्रवाहियों का आह्वान किया। ए.आइ.सी. डब्ल्यू.एफ. के लगातार प्रयासों के चलते, 5 फरवरी 1979 को केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने दूसरी वेतन वार्ता के जल्द समझौते की माँग को लेकर पहली अखिल भारतीय हड़ताल की। यह हड़ताल समूचे कोयला उद्योग में पूर्ण रही थी। इसके बाद, अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें कोयला उद्योग में सीटू के साथ संयुक्त कारवाई के प्रति हिचकिचाहट में रहीं। अगले दो दशकों में, सीटू ने अकेले दम पर कोयला उद्योग में 6 हड़तालें कीं। ये हड़तालें 25% से 60% की भागीदारी के साथ आंशिक रहीं। सीटू के कैडरों को निशाना बनाया गया तथा सैकड़ों को चार्जशीट किया गया, तबादले किये गये और अन्य सजायें दी गईं।

कोयला उद्योग में सन् 2000 की हड़ताल सीटू के लिए एक मील का पत्थर थी। चार केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने वेतन समझौता हस्ताक्षरित किया था जो कोयला मजदूरों को मंजूर नहीं था। शुरु में आइ.सी.डब्ल्यू.एफ. के नेतृत्व में अकेले हड़ताल की कार्रवाई पर जाने के लिए हिचकिचाहट थी। लेकिन, तत्कालीन बिहार की समूचे यूनियन स्तर के नेतृत्व के दबाव के चलते फेडरेरूान ने तीन दिन की हड़ताल का आह्वान किया। इस सफल हड़ताल से समूचा कोयला उद्योग ठप्प हो गया था। सन् 2000 की हड़ताल ने सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई को गति प्रदान की। जीवन रॉय के नेतृत्व में आइ.सी.डब्ल्यू.एफ. की सही कार्यनीति ने बी.एम.एस. को भी कामर्शियल खनन के खिलाफ 5 दिन की हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य किया, जिसे सीटू को छोड़कर अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने दो दिन के बाद ही वापस ले लिया था।

राष्ट्रीयकरण के बाद के दौर में ट्रेड यूनियन एकता और उसकी मारक शक्ति ने कोयला मजदूरों के लिए बेहतर वेतन व बेहतर जीने के हालातों तथा सामाजिक सुरक्षा का रास्ता तैयार किया।

दूसरी ओर राष्ट्रीयकरण के कुछ वर्षों बाद ही, सरकार ने कई संशोधनों के द्वारा कोल माइन्स नेशनलाईजेशन एक्ट, 1973 को कमजोर करना शुरु कर दिया था। 1993 के संशोधन ने प्राइवेट आपरेटरों को अन्तिम इस्तेमाल के लिए कैप्टिव माइन्स की मंजूरी दी। 1995–96 में बजटीय मदद को वापस ले लिया गया। मोदी सरकार ने कोल माइन्स (विशेष) प्रावधान एक्ट, 2015 बनाया और निजी क्षेत्र को अपने द्वारा तय दामों पर कोयले की बिक्री उत्पादन का रास्ता खोल दिया। मोदी सरकार का दूसरा हमला कोल इंडिया के 29.04% शेयरों के विनिवेश के रुप में आया और इसके खाके के अनुसार 5.96% शेयरों का और विनिवेश कर इस वित्त वर्ष के अंत तक इसे 35% के आस–पास कर दिया जायेगा।

आऊट सोर्सिंग कोयला उद्योग में सथायी मजदूरों के लिए खतरे के बराबर लटकी रहने वाली तलवार बन गई है। सी.आइ.एल. जिसके पास स्थापनाके समय 6.8 लाख स्थायी मजदूर थे, उसकी संख्या घटकर 2.6 लाख रह गई है। सरकार बड़े पैमाने पर उद्योग में मजदूरों बड़ी संख्या को काम देने वाली छोटी खदानों को बंद करने के लिए कदम उठा रही है। सी.आइ.एल. की कुल खदानों की संख्या 711 से घटकर 386 रह गई है।

इन सब सीमाओं, दिककतों के बावजूद, कोयला मजदूरों ने 5 वर्ष के समझौते में सरकार को बेहतर वेतन व सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बाध्य किया है। स्थयी मजदूरों के समझौते साथ ही ठेका मजदूरों के भिी संयुक्त हाई पावर कमेटी के द्वारा वेतन व अन्य कल्याणकारी लाभ लिये गये हैं।

केन्द्र सरकार की नीति विनिवेश, कामर्शियल माइनिंग, तथा सी.आर.एल. व उसकी सहायकों को तहस–नहस करने के द्वारा कोयला उद्योग के पूरे परिदृश्य को ही पलट देने की है। उसे पुराने दिनों वाले निजी स्वामित्व में पहुँचा देने की है। केवल संयुक्त व जुझारु ट्रेड यूनियन आन्दोलन ही सरकार को ऐसे कदम उठाने से रोक सकता है। हमारे सामने काम सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष के लिए मजदूरों को तैयार करने का है। मजदूरों के रिहायशी इलाकों में उनके साथ लगातार नजदीकी संपर्क ही आने वाले आंदोलन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। हमारे प्रायस निश्चित ही उस अंधेरे को, हमले को रोक देंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खदानों व उनके मजदूरों पर छाया हुआ है।

(जी.के. श्रीवास्तव ए.आइ.सी.डब्ल्यू.एफ. के संयुक्त महासचिव हैं)

निमार्ण मजदूरों का ट्रेड यूनियन आंदोलन

देबांजन चक्रवर्ती

निर्माण कार्य का मतलब किसी इमारत या ढ़ाँचे के निर्माण, बदलाव, मरम्मत, रखरखाव या उसे धराशायी करने से होता है। जिसमें राजमिस्त्री, बढ़ई, रंगरोगन, बिजली का काम, प्लंबर और फिटिंग्स के कार्य भी शामिल होते हैं। जहाँ तक इसमें लगे मजदूरों की संख्या और उत्पादित माल के मूल्य का सवाल है तो ये एक प्रमुख उद्योग है। 1961 की जनगणना के अनुसार, तब 20 लाख से ज्यादा मजदूर इस काम में लगे थे जिनमें 2.4 लाख महिलायें थीं। 2011 की जनगणना के अनुसार निर्माण मजदूरों की कुल संख्या 4.5 करोड़ है। हमारी यूनियन का अनुमान 6 करोड़ मजदूरों का है, जिसका 20 प्रतिशत महिलाओं का है।

ट्रेड यूनियन का बनना

50 व 60 के दशक में, निमार्ण मजदूर हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एच.सी.सी.) जैसी निर्माण कंपनियों से संबंध असम व पश्चिम बंगाल में कुछ राष्ट्रीय परियोजनाओं में लगे थे; उन्होने वेतन में वृद्धि, ओवर टाइम, वर्दी व कार्य स्थल पर सुरक्षा व स्वास्थय की माँग को लेकर आंदोलन की शुरुआत की थी। बदले की कार्रवाई में प्रबंधन ने बिना कारण बताये व बिना किसी मुआवजे के भारी पैमाने पर मजदूरों की छंटनी बर्खास्तगी का रास्ता अपनाया। काम के हालात बदतर हो गये। इस पृष्ठभूमि में, एच.सी.सी. के मजदूरों ने 1969 में अपनी राष्ट्रीय फेडरेशन बनायी जिसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल में था।

सत्तर के दशक में एच.सी.सी., एन.पी.सी.सी., एन.बी.सी.सी. व बी.बी.जे. जैसी निर्माण कार्य करने वाले विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मजदूरों व कर्मचारियों ने देश के विभिन्न भागों में अलग–अलग निर्माण कार्य स्थलों पर केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों जैसे वेतन वृद्धि को लागू किये जाने की माँग करते हुए आंदोलन शुरु किया। एच.एस.सी.एल. के आंदोलन में दो मजदूरों की जान गयी – एक की बोकारो में औा दूसरे की भिलाई में। इन सभी संघर्षों के परिणाम स्वरुप एच.एस.सी.एल. की पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश आदि की यूनियनों ने 1978 में ए.एस.सी.एल. यूनियनों की अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन किया। इसी तरह के संगठन एन.पी.सी.सी. व एन.बी.सी.सी. में भी बने।

इसके बाद, सीटू ने निर्माण मजदूरों को एक बड़े मंच पर संगठित करने की पहलकदमी की। 4 मार्च, 1978 को पूर्वी क्षेत्र की तैयारी समिति का गठन कलकत्ता में हुए मजदूरों के एक कन्वेंशन में किया गया। लगातार जारी प्रयासों से त्रिपुरा, असम, बिहार, ओडिशा में और यूनियनों के साथ संपर्क बनाये गये तथा 27 सितम्बर, 1979 को कलकत्ते में एक और बड़ा कन्वेंशन किया गया तथा मनोरंजन रॉय व एम.के. पंधे के सक्रिय दिशा–निर्देशन में ईस्टर्न रीजनल कोआर्डीनेशन कमेटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का गठन हुआ। सीटू की मदद से समन्वय समिति ने उत्तर व दक्षिणी राज्यों में निर्माण मजदूरों की यूनियनों से सम्पर्क स्थापित किया। 1980 से 1983 के दौरान, समन्वय समिति ने केरल, कलकत्ता, कानपुर व दिल्ली में अखिल भारतीय बैठकें कीं। दिल्ली कन्वेंशन में आल इंडिया कोआर्डीनेशन कमेटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियंस का गठन किया गया।

कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियनों की इस समन्वय समिति के नेतृत्व में निर्माण मजदूरों की न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी, ओवर टाइम तथा पी.एफ., ई.एस.आइ., ग्रेच्युटी, वर्कमेन्स कंपेनसेशन, मातृत्व लाभ आदि जैसी माँगों को लेकर राज्य स्तरीय निर्माण मजदूर आंदोलन खड़े किये ।इन संघर्षों को कुछ राज्यों में कुछ माँगों हासिल करने में सफलता मिली।

सात वर्षों के लम्बे प्रयासों के बाद, संगठन व आंदोलन में विस्तार के साथ निर्माण मजदूरों की अखिल भारतीय समन्वय समिति को अप्रैल 1989 में पश्चिम बंगाल के फरक्का में हुई काँफ्रेन्स में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम दिया गया। वहाँ से इसने एक योजनाबद्ध यात्रा शुरु की।

अगले 30 वर्षों (1998–2019) के दौरान, सी.डब्ल्यू.एफ.आई. ने 12 राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों – पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, बिहार, झारखंड, दिल्ली, यू.पी., मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, पुडुच्चेरी तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अपनी इकाईयाँ स्थापित की हैं। इस दौरान सी.डब्ल्यू.एफ.आई. की सदस्यता 1.5 लाख से बढ़कर 13 लाख पहुँच गई है। फेडरेशन ने अलग–अलग राज्यों में अपने 9 सम्मेलन किये हैं।

सी.डब्ल्यू.एफ.आई. की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि निर्माण मजदूरों के लिए अलग कानून बनवाने की रही है। इस कानून के लिए फेडरेशन ने 70 व 80 के दो दशकों में वर्षों लम्बे राज्य व्यापी आंदोलन चलाये। सीटू के नेता तथा सी.पी.आइ.(एम) सांसदों, हन्नान मोल्ला, एम.एम. लारेन्स ने इस मुद्दे को लोकसभा व राज्य सभा में बार–बार उठाया। अंततः 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार के समय संसद के दोंनो सदनों में विधेयक की मंजूरी के बाद बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, 1996 अधिसूचित व लागू किया गया।

अब निर्माण मजदूर पेंशन, घर बनाने के लिए ऋण, चिकित्सा की लागत, बच्चों की शिक्षा सब्सिडी, मातृत्व लाभ, दुर्घटना व प्राकृतिक मृत्यु लाभ राज्यव्यापी निर्माण मजदूर कल्याण बोर्डों से ले सकते हैं।

तथापि, वर्तमान केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों (केरल को छोड़कर) एक्ट के तहत कल्याण योजनाओं के लाभों से मजदूरों को वंचित कर रही हैं और जब उन्हें लाभ मिलता भी है तो पूरा नहीं मिलता। विभिन्न राज्यों में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्डों के पास 42,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि संचित है लेकिन हितधारकों को मात्र 12,000 का ही लाभ दिया गया है और राज्य सरकारें संचित फंड के अधिकतर हिस्से को इधर–उधर कर रही हैं। सी.डब्ल्यू.एफ.आई. विभिन्न राज्यों में लाभों के उचित वितरण के लिए संघर्ष में है।

सी.डब्ल्यू.एफ.आई. आगे बढ़ रही है तथा अखिल भारतीय, राज्य व जिले स्तरों पर सीटू की नीतियों व कार्यक्रमों को आगे ले जा रही है।

आइ.एल.ओ. का स्पष्ट आश्वासन

राष्ट्रीय न्यूनतम् वेतन निर्धारण प्रक्रिया में 'दखल' नहीं

{सीटू महासचिव तपन सेन ने 5 जुलाई को भारत में आइ.एल.ओ. के कार्यालय के निदेशक को संबोधित पत्र में आरोप लगाया कि आइ.एल.ओ. ने मोदी सरकार के साथ मिलीभगत करके ''वेतन निर्धारण के ठोस निर्धारण के बारे में लगातार हुए भारतीय श्रम सम्मेलनों की सर्वसम्मति की सिफारिश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा समर्थित'' को बदलने के लिए आइ.एल.ओ. द्वारा प्रायोजित कार्यशाला में इसे बढ़ावा देने की कोशिश की गयी है। जवाब में, आइ.एल.ओ. के निदेशक ने 11 जुलाई के अपने उत्तर में कहा कि ''इस विषय पर सीटू द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं पर संज्ञान'' लेते हुए, आश्वासन दिया कि ''यह विशेष कार्यशाला राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारण प्रक्रिया में दखल नहीं देगी।''}

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS
भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

K. HEMALATA
President

TAPAN SEN, Ex.-M.P.
General Secretary

5th July,2019

The Director
ILO Country office for India
India Habitat Centre
Core 4B, 3rd Floor, Lodhi Road
New Delhi-110003

Dear MS. Dagmar Walter,

We have received invitation from you for National Workshop on Wage Concepts and Wage Setting Process scheduled at Coimbatore on 16-18 July, 2019. From the note and topics narrated in the letter we are dismayed to find that despite there being in place the consensus recommendation of successive Indian Labour Conferences about the concrete formulation of wage setting supported by Supreme Court judgment in which Govt of India, state governments, employers organization were a party, then how that agenda is re-opened for further discussion in workshop that too with the involvement of ILO.

We also need to mention that all the central trade unions while attending the meeting called by ILO on 28th May, 2019 had strongly criticized ILO for involving to a process which was violattive of the consensus formulation by the highest tripartite forum in the country and that process is aimed at legitimizing such violation and deviation. We also find no reason of ILO for their enthusiasm for pursuing such anti-worker as well as anti-tripartism process.

On behalf of CITU we insist that ILO should desist from such process and stick to the relevant Convention No. 131 of ILO.

Yours sincerely,

(Tapan Sen)
General Secretary

ILO DWT for South Asia and Country Office for India

India Habitat Centre
Core 4 B, 3rd Floor, Lodhi Road
New Delhi 110 003, India

Tel.: +91 11 4750 9200
Fax.: +91 11 2460 2111
E-mail: delhi@ilo.org

SOCIAL JUSTICE
DECENT WORK

Mr Tapan Sen
General Secretary
Centre of Indian Trade Unions (CITU)
B T Ranadive Bhawan
13-A, Rouse Avenue, New Delhi- 110 002.
Tel: 23221288

11 July 2019

Dear Brother Sen,

This is in reference to your letter dated July 5, 2019, in response to our invitation to CITU to the National Workshop on Wage Concepts and Wage Setting Process in Coimbatore, Tamil Nadu on July 16-17-18, 2019, organized under the ILO/Japan project, "Towards fair and sustainable global supply chains: Promoting decent work for invisible workers in South Asia". We have taken due cognisance of the concerns expressed by CITU on the subject.

At the outset, kindly accept our apologies for any inconvenience that may have been caused by the invitation letter of the above-mentioned programme. This workshop aims at strengthening capacity of constituents to better support informal economy workers, engaged in the lower tier of metal products and garment supply chain, in particular, home-based workers (including own account workers), to effectively calculate wage linked to productivity (and work-time) and bargain better remuneration (or profit-sharing) in accordance with C 131 and R 135. The workshop will specifically focus on equipping participants on the methods of calculating piece rate wages, which is expected to contribute in improved collective bargaining approaches by piece-rate workers, in the informal economy. As such, this particular workshop will not delve into national minimum wage setting process.

Thanking you in anticipation of your kind understanding and looking forward to CITU's valuable contribution during the proposed workshop.

Yours sincerely,

Dagmar Walter
Director

राज्यों से

पंजाब

आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स यूनियन का सम्मेलन

आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स यूनियन पंजाब का राज्य सम्मेलन 14 जुलाई, 2019 को जालंधर में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य भर से आए 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सीटू के राज्य महासचिव रघुनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। एआइएफएडब्ल्यूएच की अध्यक्ष और सीटू की राष्ट्रीय सचिव उषा रानी ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में रणजीत कौर रोपड़ को चेयरपर्शन, सरोज कुमारी को अध्यक्ष और सुखजीत कौर को महासचिव चुना गया। सम्मेलन के बाद भारी बारिश के बावजूद रैली निकाली गई।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dsn	eb 2019	tu 2019
vk/k izns'k	xq.Vwj	293	297
	fot;okMk	293	301
	fo'kk[kkiÿkue	293	297
vle	MeMek frulf[k;k	276	278
	xokgkVh	277	278
	ycd flYpj	277	278
	efj;kuh tkjgkV	261	262
	jxkikjk rst iqj	253	259
fcgkj	eq?kj&tekyiqj	347	345
p.Mhx<	p.Mhx<	310	311
NÿkhlX<	fHkykbZ	330	332
fnYyh	fnYyh	301	302
Xkkvk	xkvk	327	333
Xkqt jkr	vgenkckn	282	283
	Hkkouxj	295	299
	jktdkV	300	299
	lwjr	270	276
	oMknjk	278	279
gfj;k.kk	Qjhnkckn	275	278
	;equkuxj	294	299
fgekpy	fgekpy çns'k	271	272
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	279	276
>kj[k.M	ckdkjk	303	307
	fxfjMhg	346	345
	te'kniqj	358	357
	>fj;k	363	361
	dksMek	386	386
	jkph gfV;k	382	383
dukVd	cqyxke	308	309
	cqxyqj#	298	300
	gcyh /kkjokM	332	335
	ejdjk	311	312
	eSlwj	317	319
dqiy	,.kkdqye@vyobZ	321	325
	eq.MkD;ke	318	322
	fDoyku	366	373
e/; çns'k	Hkksiky	328	330
	fNUnokM	308	311
	bUnkj	285	285
	tcyiqj	321	323
महाराष्ट्र	मुम्बई	308	309
	ukxiqj	389	393
	ukfld	360	360
	iq.k	341	344
	'kksykiqj	332	331
mMhlk	vkSxqy&rkypqj	333	332
	jkmjdsyk	317	319
ikfMpfj	ikfMpfj	319	323
iatkc	vejlj	337	338
	tkyU/kj	321	323
	ywf/k;kuk	296	297
jktLFkku	vtesj	289	290
	HkhyokM	292	293
	t;iqj	306	309
rfeyukMq	pSUuS	282	287
	dk;EcVwj	287	293
	dSUuqj	333	341
	enqjkbZ	301	305
	lsye	295	301
	fr#fpjkiYyh	302	305
rsyaxkuk	xknkojh[kkuh	329	335
	gnjkckn	262	270
	okjaxy	324	327
f=iqjk	f=iqjk	263	265
mÿkj çns'k	vkxjk	355	357
	xkft;kckn	337	335
	dkuiqj	342	343
	y[kuÅ	336	339
	okjk.klh	3332	335
if'pe cxky	vklulky	338	337
	nkftfyax	277	278
	nxkiqj	3332	333
	gfYn;k	340	339
	gkoM	294	294
	tkyikbZxqM	280	280
	dkydkrk	289	290
	jkuhxat	292	293
	flyhxqM	283	283
vf[ky Hkkjrh; lpdkd		**314**	**316**

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568; ~~आइएफसीकोड~~ : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्कः** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन, 13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

आर्डीनेन्स फैक्ट्रियों में हड़ताल

(रिपोर्ट पृ० 18)

जबलपुर (मध्य प्रदेश)

इछापुर (पश्चिम बंगाल)

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-20 20 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication -05/09/2019)

सीटू जनरल काउंसिल मीटिंग

हासन; 7–10 अगस्त, 2019 *(रिपोर्ट पृ० 5)*

(उपर) **महासचिव रिपोर्ट पेश करते हुए;**
(बीच में और नीचे) **कश्मीर में नागरिक अधिकारों पर हमलों के खिलाफ हासन में विरोध करते हुए**

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : **के हेमलता**